

The House reassembled after lunch at three minutes past two of the clock,
THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU) in "the Chair.

THE DELIMITATION BILL, 2002 -Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Smt. Sarla Maheshwar! to continue her speech.

श्री मती सरला माहेश्वरी :धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, भोजनावकाश के पहले परिसीमन विधेयक,2002 पर चर्चा करते हुए मैं आपातकाल की चर्चा कर रही थी और मैंने यह कहा था कि आपातकाल का पूर्वाभ्यास, उसकी सिहर्सल पश्चिम बंगाल में की गयी थी और किस तरह चुनाव के नाम पर वहां प्रहसन किया गया था ओर ज्योकि बसु की तरह के सम्माननीय नेता को 60000 वोटों से पराजित कर दिया गया था। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में आज जब हम इस परिसीमन विधेयक पर विचार कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से परिसीमन को टाल दिये जाने से जो विरूपताएं पैदा हुई है, उन विरूपताओं को दूर करने की दिशा में एक कदम है तो जाहिर है कि हमें ऐसे तमाम सवालों पर भी विचार करना चाहिए कि आखिर क्यों अभी भी....

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु): लेकिन आपको तो समाप्त करना होगा कि क्योंकि जो आपका टाइम था...

श्री मती सरला माहेश्वरी : उपसभाध्यक्ष महोदय, आप तो अभी बैठे ही है और मैंने शुरू भी नहीं किया है।

उपसभाध्यक्ष(श्री नीलोत्पल बसु): वह मुझे मालूम है लेकिन सात मिनट आप ले चुकी है इसलिए बिल के संदर्भ में जो बात है, वह आप दो मिनट में रख दीजिए।

श्री मती सरला माहेश्वरी : महोदय, मैं समाप्त कर रही हूं। अगर बीच में कोई व्यवधान नहीं होगा तो मैं जल्दी समाप्त कर दूंगी। आज निश्चित रूप से हमारे लिए यह विचारणीय प्रश्न है कि आखिर कौन से कारण है कौन सी वह कमियां थीं जिनके कारण हमारे देश में संसदीय जनतंत्र की स्वस्थ परम्पराएं अपनी जड़ें नहीं जमा सकीं। महोदय, आज हमारी संसदीय व्यवस्था पर जो टीका-टिप्पणी की जाती है, चौतरफा भ्रष्टाचार, जातिवाद और अवसरवाद का जो बोलबाता दिखाई देता है, उसके बुनियादी कारणों को समझने की जरूरत है। सरकारिया आयोग ने हमारी संघीय व्यवस्था में पैदा हुई विरूपताओं को हमें अच्छी तरह बताया था। वोहरा कमेटी की रिपोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण और भ्रष्टाचार का एक सजीव चित्रण हमारे सामने रखा था। नागरवाला कांड से लेकर बोफोर्स कांड और नरसिंह राव जी के शासन के अनगिनत घोटाले और हाल में तहलका कांड तक पसरा हुआ शासक दल का भ्रष्टाचार हमारी संसदीय प्रणाली में दीमक की तरह घर किए हुए है। उपसभाध्यक्ष जी, शाह बानो प्रकरण, समूचा राम जन्मभूमि आंदोलन, राम रथ यात्रा से शुरू हुआ साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण, साम्प्रदायिक तनाव की ज़मीन तैयार कर रहा है। समाजिक न्याय की लड़ाई सत्ता मै। भाग बंटबारे की एक तिकड़म बनकर रह गई है, इन सब के चलते हमारी संसदीय प्रणाली में जो विरूपताएं पैदा हुई है, उन पर हम सबको खुले मन से विचार करने की जरूरत है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, राज्य सभा के चुनाव तक में क्रॉस वोटिंग एक सामान्य सी बात बनती जा रही है और इस विरूपता को दूर करने के लिए जो कदम सुझाए जा रहे हैं, वे हमारी संसदीय व्यवस्था के मूलाधार पर ही कठोर आघात के समान हैं। गुप्त मतदान का जो हमारा अधिकार है, उसको ही खत्म करने के ज़रिए इस तरह की विरूपताओं को दूर करने का उपाय सुझाया जा रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि यह सब क्या है ? इससे यही पता चलता है कि हमारा शासक दल वास्तविकता को देखने और समझने से कतरा रहा है। आज उनके सामने राजनीति का अर्थ येन केन प्रकारेण सत्ता में रहना रहा गया है और इसीलिए इस समूची मूल्यहीनता, अवसरवादिता और भ्रष्टाचार का खेल अबाध रूप से जारी है।

महोदय, आज जब हम अपनी चुनाव प्रणाली में पैदा हुई विरूपताओं को दूर करने के लिए परिसीमन संबंधी इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तब हमें अपनी संसदीय प्रणाली के साथ समग्र रूप से जुड़े हुए इन तमाम सवालों पर बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है। संसदीय जनतंत्र के स्वस्थ मूल्यों की स्थापना का लक्ष्य हमारे तमाम राजनीतिक और प्रशासनिक कदमों के केंद्र में रहना चाहिए, तभी में समझती हूँ कि हमारे संसदीय जनतंत्र में आज जो आघात हो रहे हैं, संसदीय जनतंत्र के रास्तों में जो विरूपताएं पैदा हुई हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि परिसीमन विधेयक को सिर्फ सीमित अर्थों में न लेकर इसे हमारी संसदीय व्यवस्था से जुड़े हुए एक अहम प्रश्न के रूप में देखते हुए आज जो विरूपताएं आई हैं, उनको दूर करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करती हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Sir, participating in the discussion on this Bill for Delimitation, I find that some hon. Members have widened the scope of the debate much beyond the comprehension of this Bill. In that connection, certain serious allegations have been attributed to certain parties, especially to my party to which I belong to. It goes back to the days of 1978. A book was referred to, written by one American Ambassador to India, Mr. Moniyahan, where some allegations were made against two leading Indian politicians. Both of them are dead today. We had the privilege of discussing it on the floor of this House in 1978. I am repeating what I had said at that time. We rejected the contention of Mr. Moniyahan, because the Indian politicians to whichever political parties they may belong to, have not come down to this level that they will take a few dollars from CIA, or, from any other external agency. Unfortunately, this debate has been used to just beat a political party left, right and centre. High morality has been pointed out completely ignoring the fact that the hon. Member is raising the accusing finger completely forgetting that in her Government right now there is a Minister, who had to surrender before a court, because he was accusea of a murder charge. The police could not arrest him. The court had to issue order for the forfeiture of his property. As

a Minister, he had to surrender! Till today, right at this moment, he is continuing! I do not know what prompted her to bring allegations starting from Bofors to Nagarwala. There was a regular Commission of Inquiry appointed under a Supreme Court Judge to look into the allegations in connection with the Nagarwala case in the 70s .../nterruption)... Sir, I am not yielding. I am on my legs. .../nterruption)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): I cannot allow you. He is not yielding.

SHRI PRANAB MUKHERJEE:which has been decisively pointed out by the Judicial Commission. I do not know what purpose it serves to raise an accusing finger again, that too, against a person who is dead, in a matter which is 30 years old. We are taught of morality, we are taught of norms! But we are fully aware of the facts. The Constitution makes a provision that a man who is appointed as a Minister, if he ceases to be a Member of the House or if he is not a Member of the House, he, or she, should not continue to be a Minister beyond 180 days. It happened in 1993 in my case. I was appointed a Minister. I could not get myself elected. I quietly resigned. But allegations were raised against me that I was trying to get myself nominated as a Rajya Sabha Member. And, the Party which brought allegations against me, had a Minister in their State. He was not elected to the Assembly. They adopted ingenious methods. They asked him to resign on the 179th day. And after two days, he was again inducted as a Minister. And they are saying that we should follow certain norms, we should follow certain morality! Let us not talk about that.

Now, coming to the Bill, Mr. Vice-Chairman, I would like to draw the attention of the Minister to three points. I feel that there will be three situations arising under section 8. One situation would be this. The total number of Members of the Assemblies and the total number of Members of the Lok Sabha will be frozen at the present level. Section 8 provides, as the Minister, while introducing the Bill, pointed out, that so far as the Scheduled Castes are concerned, seats will be reserved comparatively where the Scheduled Caste population is more. Naturally, in the Scheduled Caste population, there is a likelihood of an increase as the relevant Census report would be of 1991. Therefore, compared to 1971, their number should increase. We can even presume that if their number increases, the number of reserved seats will also increase. Therefore, a situation will arise when the total number remains the same both in respect of the Assembly and in respect of the Lok Sabha, but the Scheduled Caste and Scheduled Tribe

seats may have to increase in number. And it will have to come to the general category. I would like to know whether my contention is correct or not. That is No.1.

Secondly, I would like to suggest this to the hon. Minister for consideration. Delimitation is very important. We had a good deal of debate. I had the privilege of listening to the viewpoints of various political Parties when this Bill was discussed in the Standing Committee. We agreed that, up to 2026, as per the provision of the Constitution, the number of seats should be frozen. But, in respect of the number of Scheduled Caste seats, it will be increased and they should be accommodated in such a manner that there is no serious distortion, which will create resentment amongst the general categories.

The second point I would like to draw the attention of the hon. Minister to is this. Surely, the Delimitation Committee would like to examine this. So far as the present position is concerned, after the last delimitation, a number of new States have been created. As it is, today, I think, at least, in the case of two Lok Sabha seats, if not Assembly seats--there are Assembly seats also--the constituencies are spread in two States. That kind of a situation should be avoided. With regard to Lok Sabha seats and Assembly seats, the multiplying factor has some relevance. So, this aspect also should be taken note of.

The third aspect to which I would like to draw your attention is that, as this Constitution (Amendment) Bill has to get the requisite support from the State Assemblies, there should not be any delay in setting up the Delimitation Commission and putting it into operation. Though the Minister has expressed the hope that, with the improved communication system, there would not be any further delay, the two years' time is not enough, because determining the geographical territory of a constituency is very relevant. With these words, I support this Bill. Thank you, Mr. Vice-Chairman, for giving me this opportunity.

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, on behalf of the All India Anna DMK, I rise to support this Bill. After the last exercise in 1972, it has taken nearly three decades to introduce this Bill. During these 30 years, due to the uneven growth of the population, as also the migration of people from the rural areas to the urban areas, there has been

a wide discrepancy in the electoral strength. For example, at the time of the 1999 General Elections, in Tamil Nadu, the Myladuthurai Parliamentary Constituency had the lowest electorate, 10,30,301; whereas the South Madras Parliamentary Constituency had the highest electorate, 20,73,847. While the electoral strength in Chepauk Assembly Constituency is the lowest, 1,28,399; it is the highest in Villivakkam, 8,19,547. It can be noticed that the electoral strength in the Villivakkam Assembly Constituency is, more or less, the same as in the Myladuthurai Parliamentary Constituency. I had contested from the South Madras Parliamentary Constituency in 1996. We know the difficulties in campaigning. To cover 21 lakh voters, in a span of 14 days, on an average, you may have to meet, approximately, 1.5 lakh voters every day; and hence the need and urgency for this delimitation exercise to redefine the boundaries of the constituencies so that everybody will have a level-playing field. While undertaking this delimitation exercise, it is very necessary to maintain the freeze in the total number of Assembly and Parliamentary constituencies till 2026, as agreed. In 1962, Tamil Nadu had 41 Parliamentary constituencies. After the delimitation exercise, it was reduced to 39 in 1967. The population of a State is the sole criterion for fixing the number of Assembly and Parliamentary seats. Tamil Nadu has done a very commendable job, with reference to family planning and population control; so also the other southern States, Karnataka, Andhra Pradesh and Kerala. For effectively implementing population control measures, we are penalised. We have been assured that the freeze will continue till 2026. According to a report from the Population Foundation of India, the total number of seats in UP, Bihar, MP and Rajasthan, the total number of Parliamentary seats, as of date, is 204; and it will increase to 229, if this freeze is not applied; whereas Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh and Kerala, put together, the total number of Parliamentary seats, as of today, is 129. If this freeze is not adhered to, that will drop down to 113. For the pioneering work done in the field of population control and family planning, we do not expect a pat on our back from you, but, at least, we should be assured that we would not be penalised. We, definitely, deserve a better treatment. In fact, I would like to suggest to the Minister that the Government should give incentives to the States which effectively implement population control measures. If any State reduces the population by 5 per cent during a Census period, it should be given additional five Parliamentary seats and, accordingly, similar number of Assembly seats, for effectively implementing family planning measures and achieving population control.

You can name them as premium seats. If they go back on that, those seats can be taken back. Sir, the Bill mentions about the 10 associate members, five from the Lok Sabha and five from the State Assemblies. I fail to understand why the Minister has forgotten Rajya Sabha. Rajya Sabha is the Council of States. The Minister is also a Member of this House. I urge the hon. Minister to see to it that equal number of Members from the Rajya Sabha are also included in the proposed Commission as associate members. The Bill mentions that none of the associate members shall have the right to vote or sign any decision of the Commission. The geographical structure and the decision to fix the nature of reservation of the constituency could be achieved only if voting power is given to the associate members who have more knowledge concerning the State, rather than the three members who are total strangers to the State. The State Government has no role, so far as the activities of the Delimitation Commission are concerned. The State Government cannot remain a mute spectator on such vital issues. Then naming of a constituency, whether a Parliamentary constituency or an Assembly constituency, should be left to the discretion of the State Government. In the city of Madras, there used to be a Basin Bridge constituency. In fact, this name exists even today. Unfortunately, the name of that constituency had been changed to Park Town constituency which does not indicate anything.. Similarly, the Manaparai constituency which had a Union and a Town Panchayat had been named as Marugapuri constituency, is only remotely connected to Manaparai. Then the Varagur constituency which has got two Unions, i.e. Vedpur and Aalathur, how its name was changed to Varagur, still remains a mystery. All this creates a lot of confusion, discrepancy and discontent. So the naming of constituencies should be left to the discretion of the State Governments. I would request the Government to consider the question of rotation of reserved constituencies. In the absence of a rotation policy, many people have been unable to enjoy the benefits of reservation both in relation to Parliamentary and Assembly constituencies for the last 30 years. With these words, I support the Bill.

प्रो. रामगोपाल यादव(उत्तर प्रदेश) : श्रीमन् यह जो डीलिटिमिटेसन है, यह 1972 के बाद से लेकर अब तक नहीं हुआ और इससे तमाम विसंगतियां पैदा हुईं। इस समय यह डीलिटिमिटेसन बिल लाया गया है तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। इस संबंध में मेरे दो-तीन सुझाव हैं। एक तो कमीशन का जो गठन है इसमें सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज के चेयरमैन बनने की व्यवस्था है। मैं किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त नहीं

करता हूँ, लेकिन अगर सिटिंग जज चेयरमैन हो तो बहुत प्रभावी ढंग से कार्यवाही होती है और लोग कम हस्तक्षेप कर पाते हैं। आप जानते हैं डिलिमिटेशन में कितनी कोशिशें होती हैं, अमरीका की जेरी मेंडरिंग को आप जानते ही हैं। यहां भी लोग कोशिश करते हैं कि एक हिस्सा, जो उसके समर्थक मतदाताओं का है, उसको उसकी असेंबली कंस्टीट्यूंसी में जोड़ दिया जाए, हम लोग जानते हैं और गौतम जी जानते हैं कि 1972 में हमारे यहां एक मंत्री थे, जो लोक सभा में हमारे एम.पी. हैं, उन्होंने अपनी बिरादरी का हिस्सा अपनी कंस्टीट्यूंसी में जुड़वा दिया। हालांकि बाद में यह हुआ कि उसी हिस्से ने उन्हें वहां से कभी एम.एल.ए. नहीं होने दिया। लेकिन यह हो जाता है। इसलिए अगर सिटिंग जज चेयरमैन हो तो उसकी सत्ता की एक धमक होती है जिसकी वजह से कम असर हो पाता है। दूसरे, मैं यह भी चाहूंगा कि गाइडलाइन्स अवश्य होनी चाहिए। पार्लियामेंटरी कंस्टीट्यूंसी, यथासंभव अगर जिला बड़ा है तो एक ही जिले के अंतर्गत आए, वरना दो जिले से ज्यादा तो होने ही नहीं चाहिए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्वायंट ऑफ व्यू से बहुत दिक्कत होती है। अलग-अलग गिनती, अलग-अलग जिलों में होती है और रिज़ल्ट आने में भी दिक्कत होती है। हमारे यहां जलेश्वर कंस्टीट्यूंसी चार जिलों में है।

एटा,फिरोजाबाद, आगरा और हाथरस- संभल पार्लियामेंटरी कंस्टीट्यूंसी 3 जिलों में है। उपसभाध्यक्ष जी, मुलायम सिंह जी के चुनाव के वक्त जब मैं कांउटिंग के काम में जाता हूँ, तब मुझे दिक्कत होती है कि बदायूं जाऊँ, मुरादाबाद जाऊँ, फिर अमरोहा जाऊँ। इसलिए अधिक-से-अधिक दो जिलों में कंस्टीट्यूंसी हो, ऐसी गाइडलाइन्स होनी चाहिए। महोदय, इसे संख्या बराबर करने के लिए तो किया ही जा रहा है क्योंकि दिल्ली के चांदनी चौक और आउटर दिल्ली की कंस्टीट्यूंसी में जो अंतर है, सारे हिंदुस्तान में कहीं भी दो पार्लियामेंटरी कंस्टीट्यूंसीज में इतना बड़ा अंतर नहीं है। इस से यह विसंगति तो दूर होगी। इस के साथ ही एक सुझाव मेरा यह भी है कि यथा-संभव एसेंबली कंस्टीट्यूंसी एक ही जिले के अंदर होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कई जगह जब मतदाता सूची लेने जाते हैं तो पता चलता है कि 20 पोलिंग सेंटर्स की दूसरे जिले में मिलेगी क्योंकि उस हिस्से में एसेंबली कंस्टीट्यूंसी के 10 पोलिंग सेंटर्स या 20 पोलिंग सेंटर्स आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नोमीनेशन के वक्त चूंकि एसेंबली कंस्टीट्यूंसी में कोई भी मतदाता नोमिनेशन प्रपोजर हो सकता है, तो नोमीनेशन हो रहा है मैनपुरी जिले में लेकिन प्रपोजर फिरोजाबाद जिले का है क्योंकि कंस्टीट्यूंसी उस का हिस्सा है। अब जब से मतदाता सूचियां कम्प्यूटर से छापे जाने की इलेक्शन कमीशन ने व्यवस्था कर दी है, उस से कई बार नोमीनेशन वाले दिन तक वोटर्स लिस्ट तैयार होकर नहीं पहुंच पाती है। इलेक्टर का सीरियल नंबर, पार्ट नंबर वहां है या नहीं, यह ढूढने से नहीं मिल पाता है। इसीलिए अगर बिल्कुल असंभव है तो बात दूसरी है, लेकिन कोशिश की जानी चाहिए कि एक ही जनपद, एक ही जिले के अंदर एसेंबली कंस्टीट्यूंसी पूरी हो और वह दो जिलों में न फैले।

उपसभाध्यक्ष जी, अभी कई लोगों में एसोसिएट मेंबर्स के बारे में सुझाव दिया, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि एसोसिएट मेंबर को डिसेजन में हिस्सा लेने का हम मिले। अगर ऐसा होने लगेगा तो कभी निष्पक्ष डिलिमिटेशन नहीं हो सकता है। यहां से एम.एल.ए./एम.पी. जाएंगे, वे पार्टी-लाइन पर सोचेंगे, पार्टी-लाइन पर बात करेंगे तो इस तरह डिलिमिटेशन कमीशन कभी काम नहीं कर सकता है। इस संबंध में डिलिमिटेशन कमीशन को

पूरी तरह से इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। अगर आप निष्पक्ष डिलिमिटेशन चाहते हैं तो कमीशन सुझाव ले, लेकिन फैसला अपने आप करे।

इस के अलावा आप फ्रीज करने की बात करने जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मामले में यह संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में 403 एसेंबली सेगमेंट्स हैं। उत्तरांचल के बनने के बाद नैनीताल पार्लियामेंटरी कांस्टीट्यूएन्सी का बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र और हरिद्वार के दो विधान सभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में रह गए। इस में या तो 3 सेगमेंट्स कम कर के आप को 400 सेगमेंट्स करने पड़ेंगे क्योंकि आप 405 कर नहीं सकते अन्यथा आप को एक लोक सभा सीट बढ़ानी पड़ेगी जो कि आप नहीं करेंगे। इसीलिए फ्रीज करने वाली उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती है। अगर 81 पार्लियामेंटी सीट्स करेंगे तो 405 एम.एल.एज. होने चाहिए और 80 के लिए 400 होने चाहिए। हालांकि अभी 80 लोक सभा सीट्स हैं लेकिन एम.एल.एज. 403 है। इसलिए इन तीन एसेंबली सेगमेंट्स का भी आप को ध्यान रखना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कानून मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

श्री सघं प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अच्छा होता यदि श्रीमती सरला जी यहां होती। महोदय, मैं आलोचनात्मक बात कहता नहीं हूँ, सरला जी बहुत अच्छा बोलती हैं, उन्हें जानकारी बहुत है, भाषा-शैली, प्रस्तुतीकरण बहुत अच्छा है, और उन की बात में भी वजन होता है, लेकिन आलोचना किए बिना उन के पेट में पानी ठहरता नहीं है। महोदय, मैं प्रणव दा की तारीफ करता हूँ। आज उन को गुस्सा आया और उन्होंने प्रतिक्रिया की, लेकिन मैंने वह दिन भी देखे हैं जब कि यहां अनर्गल आलोचना होती थी और इसी सदन में होती थी तब किस तरह से उस तरफ से उस तरफ के उन सदस्यों को प्रोत्साहित किया गया, लेकिन देर आयद दुरूस्त आयद। मैं प्रणव दा की तारीफ करता हूँ, आदर करता हूँ। अभी सरला जी ने कहा कि इतने दिन से विधेयक क्यों नहीं आया? अगर नहीं आया तो उनके जमाने में नहीं आया और आपके जमाने में भी नहीं आया। संयुक्त मोर्चा की सरकार तो आपके ही समर्थन से चल रही थी, वह भी इस बिल को नहीं लाए। ऐसे ही उदयी ऐसे ही भान, उनके नाक न इनके कान, दोष तो दोनों का ही है। उन्हीं को अकेले आप क्यों दौष दे रहे हैं? हम तो इस विधेयक का लाए, बेटर लेट देन नेवर, देर आयद दुरूस्त आयद, विधेयक को लाए तो सही। इसके लिए मंत्री जी बधाई के पात्र है, यह सरकार साधुवाद की पात्र है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रणव दा से प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक के इतने दिन तक खटाई में पड़े रहने के कितना अन्याय, कितना नुकसान हुआ है। आपने निर्वाचन क्षेत्रों की तुलना तो कर दी, लेकिन तुलना आपने उनके आकार की नहीं की कि निर्वाचन के समय प्रचार का समय जितना पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवार को मिलता है उतना ही चांदनी चौक के उम्मीदवार को मिलता है।....(व्यवधान)....यह एक अन्याय है कि एक प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा

* Expunged as ordered by the Chair.

तीन दिन में पूरा लेगा और दूसरे प्रत्याशी का दौरा तीस दिन में भी पूरा नहीं होगा। इसके अलावा चुनाव के दौरान खर्चा दोनों क्षेत्रों के लिए बराबर रहेगा, जो खर्चा चांदनी चौक में होगा उतना ही खर्चा पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी को करना होगा। यह एक विसंगति इसमें है और जो एक अन्याय है। आप कम से कम सीटों की संख्या को फ्रीज कर सकते थे, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को फ्रीज कर सकते थे, मगर निर्वाचन क्षेत्रों के आकार, उसके स्वरूप और मतदाताओं की संख्या में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तो आप यह परिसीमन आयोग बैठा सकते थे। यह बात आपक दिमाग में क्यों नहीं आई? इससे लोगों को कितना नुकसान हुआ है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जहां मैं बधाई देता हूँ, वहीं मेरे मन में कुछ शंका, कुछ सुझाव है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे कानून मंत्री महोदय, उसको स्पष्ट करेंगे। शायद यह अधिकार चुनाव आयोग को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 के अंतर्गत था और शायद चुनाव आयोग ने फिर कोशिश भी की होगी कि यह अधिकार उसको मिले। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद पहला परिसीमन आयोग 1952 में स्थापित हुआ था। उसकी आख्या पर वह सेलेक्ट कमेटी को गया और सेलेक्ट कमेटी की सिफारिशों के बाद विधेयक आया, कानून और आयोग बना। उस समय सहायक समितियाँ, जिसको एडवायजरी असिस्टिंग कमेटी कहते हैं, वह समितियाँ बनीं। उस समय “ए”, “बी”, “सी”, तीन तरह के राज्य थे। “ए” में सात सदस्य होंगे, “बी” में पांच सदस्य होंगे, “सी” में तीन सदस्य होंगे और जहां सात सदस्य थे वहां लोक सभा के तीन और विधान सभा के चार, जहां पांच सदस्य थे वहां लोकसभा के दो और विधान सभा के तीन, जहां तीन सदस्य थे वहां लोकसभा का एक और विधान सभा के दो सदस्य रहे होंगे। यह बात सही है कि वह केवल अपना सहयोग देंगे, सुझाव देंगे, वोट भले ही न दें, साझेदारी उनकी उसमें न हो, लेकिन उनको उस समय एक अधिकार था और अब भी शायद होगा कि अगर कोई जायज एरर है, कोई गलती है, कोई विसंगति है तो उस पर वह अपनी आख्या, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, डिसेंटिंग नोट, अपनी शिकायत कर सकते हैं। शायद इसमें भी ऐसा प्रावधान मंत्री जी करेंगे क्योंकि खामखाह वैसे ही बैठने के लिए वह सदस्य उसमें रहें तो यह भी उपयुक्त नहीं होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात यह कहना चाहूंगा कि वर्ष 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था तो उस समय तीन सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भी थे। सरला जी चली गईं, नॉर्थ बंगाल तीन सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र था, इसमें तीन स्थान दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार क्षेत्र शामिल थे और उस समय वहां से मिस्टर बर्मन सांसद निर्वाचित हुए थे।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: In some Assemblies, there were four: two for Lok Sabha and two for Assembly. There were certain consequences.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: You are adding to my information.

उपसभाध्यक्ष जी, नासिक और इगतपुरी तीन सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र था, वहां से भी अपने सांसद, जो उस सिलेक्ट कमेटी में थे, चुने गए थे। इनके बाद दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बने और दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र वहां थे। जहां आरक्षित सीट अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए थी। मैं समझता हूँ कि वह दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र ज्यादा उपयुक्त और सार्थक थे। जब

से एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बने है और जितनी भी आरक्षित सीटें हैं, इनमें और उसमें। यह अंतर देखने को मिला है कि जितने आरक्षित क्षेत्र हैं इनमें सामान्य जाति के लोग आम तौर से चुनाव में कम रूचि लेते हैं। उनके मतदान का प्रतिशत भी कम होता है, जो हमारे संविधान के कांसेप्ट के खिलाफ है। मतदान तो करना ही चाहिए। तीसरी चीज, यदि वे रूचि लेते भी हैं तो वे ऐसे उम्मीदवार में रूचि लेते हैं जो उनका हैच मैन हो, जो रीअल प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति, जनजाति का न करता हो। इसलिए यह सिंगल मैम्बर कांस्टिट्युएन्सी रूचिकर और तर्कसंगत नहीं है। आरक्षित सीट के लिए तो फिर सेपरेट इलेक्टोरेट में जाना पड़ेगा जिसकी डिमांड बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने राउंड टेबल कांफ्रेंस में की थी कि जब निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए अगर है तो उन्हें चुनने का अधिकार केवल अनुसूचित जाति के लोगों को ही होना चाहिए कि वे ही अपना प्रतिनिधि चुनें और जब वे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तो किसको चुनेंगे ? वे उसको चुनेंगे जो उनकी लड़ाई लड़ता हो, जो उनके लिए सत्याग्रह, आन्दोलन, प्रदर्शन करता हो, जो उनके अधिकार दिलाता हो, जो उनकी बोली बोलता हो, जो उनके लिए लड़ता-करता हो। फिर ऐसा व्यक्ति चुनकर आएगा। अन्यथा तो अंगूठा टेक, दो दूनी तीन कहने वाल, ज्यादातर ऐसे व्यक्ति चुनकर आएंगे। इसलिए मंत्री महोदय, इस बात पर विचार करना चाहिए कि इसको सार्थक बनाने के लिए यहां पर कुछ प्रश्न उठाए गए और खास तौर से प्रणव दां ने उठाए। सर, मैं इससे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ कि 1951 के बाद जब जनगणना हुई तो 7,32,654 मतदाताओं पर एक सांसद चुना जाना चाहिए था, ऐसा सुझाव था। 1961 में तो 8,79,257 मतदाताओं पर एक सांसद का सुझाव था, लोक सभा के लिए और 1971 के बाद 10,50,000 पर एक सांसद का सुझाव था, यह एक तर्कसंगत सुझाव था। मैं बार-बार उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, कहां 3 लाख और कहां 32 लाख, यह बड़ी भारी विसंगति है, यह तो दूर होगी, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजातियों के बारे में एक शंका की बात उन्होंने कही। हमारे संविधान की धारा 330 में यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति, जनजातियों के लिए लोक सभा और विधान सभाओं में कुछ सीटें आरक्षित होंगी, वे उसी अनुपात में आरक्षित होंगी, जिस अनुपात में उस राज्य में इन जातियों की जनसंख्या है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ राज्यों ने बर्थ कंट्रोल किया है, फैमिली प्लानिंग किया है। सबसे ज्यादा बर्थ कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग और नसबंदी के शिकार यही अनुसूचिता जाति, जनजाति के लोग हुए। माफ कीजिएगा, मैं इमरजेंसी की याद नहीं दिला रहा हूँ। आप इसको भूल गए। सबसे ज्यादा नसबंदी इन्हीं की हुई। किस डाक्टर की हुई, किस वकील की हुई, किस मास्टर की हुई, किस एम.पी. की हुई, किस एम.एल.ए. की हुई, किस दुकानदार की हुई, किस बिजनेसमैन की हुई, किस इंडस्ट्रियलिस्ट की हुई, किस ब्यूरोक्रेट की हुई, किस आफिसर की हुई ? चपरासी, चौकीदार, पल्लेदार, रिक्शाचालक, खेतिहर मजदूर और बूट पालिश करने वाले जो सब शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, उनकी नसबंदी हुई है। आप भूल गए इस बात को। अब आपक पेट का पानी हिलने लगा ? जब ये अत्याचार का शिकार हो रहे थे, तब आप इन्हें आगे कर रहे थे कि जाओ, नसबंदी कराओ, कम्बल मिलेगा। जाओ, नसबंदी कराओ, बरतन मिलेंगे। जाओ, नसबंदी कराओ, -ग्राम समाय मिलेगी। जाओ, नसबंदी कराओ, भैंस के लिए पैसा मिलेगा, जाओ, नसबंदी कराओ, बकरियां के लिए पैसा मिलेगा। You were abetting, aiding and provoking. आप उन्हें नसबंदी कराने के लिए प्रोवोक करते रहे और इस समाज के अनेको लोग नसबंदी कराते हुए मर गए, इलाज तक नहीं हुआ। आज इनको क्या मिला है ? आर्मी में

इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, पैरा-मिलिट्री फोर्सज में इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, न्यायपालिका में इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, कार्यपालिका के मुख्य स्थानों पर इनकी कोई भागीदारी नहीं है, इस देश के उद्योगों में इनकी कोई भागीदारी नहीं है, इस देश की खेती की जमीन में इनकी कोई भागीदारी नहीं है, इस देश के व्यापार में इनकी कोई भागीदारी नहीं है। केवल नौकरियों में इनकी कुछ भागीदारी थी, अब नौकरियों पर भी पाबंदी हो गई है।

महोदय, आज इनके लिए 10 साल के लिए आरक्षण हुआ है। इससे असेंबली और पार्लियामेंट में इनकी 2-4 सीटें बढ़ जाएंगी, तो आपके पेट का पानी हिल रहा है ? इस पर थोड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो लोग इस देश की सेवा करते हैं, जो लोग इस देश का निर्माण करते हैं, कुंए खोदते हैं, नहरें खोदते हैं, ईंट पाथते हैं, भट्टे चलाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, दस-मंजिली इमारत से नीचे गिर जाते हैं, उनको समाज में अपना वाजिब स्थान मिलना ही चाहिए।

महोदय, सीवर की सफाई के लिए यही लोग जाते हैं, हम लोग नहीं जाते हैं और चार-चार सगे भाई एक साथ मर जाते हैं। अभी परसों नौएडा में चार भाई एक साथ मर गए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सारे कठोर काम यही लोग करते हैं। अगर कुछ समय के लिए इनके 2-4-6 प्रतिनिधि बढ़ जाएंगे तो आपको इसमें क्या आपत्ति है ? जब इनके प्रतिनिधि कम हो गए थे, तब आपको इनकी याद नहीं आई। महाराष्ट्र में 1956 में धर्मांतरण हुआ और डा. अम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उन्होंने अपने का नव-दीक्षित बौद्ध लिख दिया। वहां की सरकार ने उनको अनुसूचित जाति की श्रेणी से निकाल दिया, हालांकि इसके बाद वहां पर एक प्रस्ताव भी पारित हुआ, इनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में लाने के लिए सिफारिश भी की गई, कानून भी ले आए। महोदय, 1990 में संशोधन हो गया और यह प्रस्ताव पारित हो गया कि जिस तरह से सिक्ख, जैन धर्म के लोग हैं, उनमें जिन अनुसूचित जातियों के लोगों ने बौद्ध धर्मो को स्वीकार कर लिया है, उनको आरक्षण का अधिकार मिलेगा, उसी तरह से अनुसूचित जातियों के जो लोग बौद्ध हो गए हैं, उनको भी बराबर आरक्षण का अधिकार मिलेगा।

महोदय, महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के लिए लोक सभा की 6 आरक्षित सीटें थी, केवल 3 रह गई, विधान सभा की 36 सीटें थी, आज केवल 13 रह गई है और आज तक वे सीटें पूरी नहीं हुई हैं। मैं कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि वहां आपकी सरकार रही है और आज भी है, उस समय आपको उनकी याद नहीं आई, उस समय आपके पेट का पानी थमा रहा। कई चीजें हो गई और इन लोगों के साथ अन्याय हुआ।

महोदय, आप मुझे क्षमा करें, मुझे यह देखकर तकलीफ होती है कि जब अन्याय होता है, तब कोई आवाज नहीं उठाता है और जब इनको कोई चीज मिलने वाली होती है तो आवाजें उठनें लगती हैं। मुझे यह देखकर तकलीफ होती है। महोदय, मैं आरक्षण का विरोधी रहा हूँ। मैं डा. अम्बेडकर का अनुयायी हूँ। मैंने 1958 में आरक्षण में विरोध में संसद के सामने प्रदर्शन किया था। मैं आरक्षण का विरोधी रहा हूँ। हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें तो फ्री कंपलसरी यूनीफॉर्म एजुकेशन चाहिए और उत्पादन के साधनों में भागीदारी चाहिए। हमें अपनी मेहनत का सिला चाहिए। हमें जुल्म और अत्याचारों से छुटकारा चाहिए। यह सारा रिजर्वेशन आप ले

लीजिए, हमें रिज़र्वेशन नहीं चाहिए। लेकिन जब रिज़र्वेशन है, तो उसे पूरा करना चाहिए। रोटेशन वाली बात किसी सज्जन ने कही। यह बात कहनी बड़ी आसान है कि दूसरे को अवसर मिलेगा। सरला जी, बात बहुत अच्छी कह रही थी। समाज विकृतियों से भर गया है। हम भी इस समाज में रहते हैं। हमें इस समाज में रहना है और विकृतियों के रहते हुए अच्छी बातें लानी हैं। रोटेशन का क्या मतलब है ? रोटेशन में किसी एक को टिकट दे दिया और वह एम.पी. या एम.एल.ए. बन गया। उसे मालूम है कि अगली बार उसका क्षेत्र बदल जायेगा, दो करोड़ रूपया वह एम.पी.लेड या एमएलए फंड के अपनी जेब में रख लेगा और अपने चाचा, तारु, मामा, फूंफा, भाई-भतीजा सबको ठेकेदार बना देगा। वह अपने क्षेत्र का विकास नहीं करवायेगा और सारा क्षेत्र ऐसे ही रह जायेगा। यह लॉजीकल बात नहीं है, इसलिए रोटेशन नहीं होना चाहिए। मैं इसका विरोधी हूँ। वह अपने क्षेत्र में पैसा लगवाये, क्षेत्र का विकास करे, क्षेत्र के कल्याण के लिए काम करे, लोगों के लिए पीने का पानी की व्यवस्था करे, सड़कें बनवाये इत्यादि। उसे ये सभी काम करने चाहिए। ... (व्यवधान) ... उपसभाध्यक्ष जी, मेरा बोलने का समय समाप्त हो गया है, क्या 20 मिनट का समय पूरा हो गया है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु): आपने 20 मिनट से भी ज्यादा समय ले लिया है।

श्री संघ प्रिय गौतम : ठीक है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ और गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। दिल में तकलीफ होती है, इस समाज में जन्म लिया है और सारी जिदगी इसके आंदोलन में बीती है, बड़े-बड़े कष्ट उठायें हैं और परिवार भी गारत हुआ है, उसे कहने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि ये अंदर की बातें हैं। मैं मंत्री महोदय में इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

DR. V. MAITREYAN: Sir, Shri Sangh Priya Gautamji has just now mentioned about the neo-Buddhist reservation issue. Will the Minister clarify the Government's policy in this regard? ..*Interruptions...*

SHRI CP. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry): Mr. Vice Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. Sir, my learned friend, Shri Gautamji, has mentioned that there should not be any rotation. I am sorry, I differ with him on this issue. If a seat is allotted to a particular Scheduled Caste community, then, continuously, the same category of person will be elected from that particular constituency. And in that area, there may be a lot of general category people having skill and ability but, they will not be able to come up. Similarly, if in a constituency, a number of Scheduled Castes are there, if it is earmarked for a general category person, then, a Scheduled Caste person, even though he may be having better knowledge and affiliation with the people, will not be able to get elected. So, to prevent this sort of monopoly, rotation should be

there. This aspect was put before the Standing Committee of Parliament. This suggestion was considered, several times, by the Standing Committee, but, still, it was rejected. As Mr. Pranab Mukherjee has pointed out, the distinction between the 1971 Census and the 1991 Census was taken into consideration by the Select Committee. The 1971 Census was taken into consideration, because according to that Census, the number of seats should not be increased. If the 1991 Census is taken into consideration, then, the number of seats would increase in some States; and in some other States the number of seats would go down because of the Family Planning Programme and because of other circumstances. If the Family Planning Programme is not implemented, then, the seats would increase. So, taking those aspects into consideration, the Delimitation Act of 1972 was passed. In order to give more benefits to the Scheduled Caste people, 1991 Census has been taken into consideration. I believe, by taking 1991 Census into consideration, as has been pointed out by Pranabji, the intention of the Government is that there should be an increase in the number of seats for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people, taking the total number of seats as it is.

The next point I would like to submit is with regard to the Delimitation Act. Under Delimitation Act, section 21 says "State includes Union Territory having a Legislative Assembly, but does not include the State of Jammu and Kashmir". So, as per this provision, the Delimitation Act is applicable to Union Territories as well. I would like to point out that there is a provision under the Government of Union Territory's Act which deals with the delimitation of constituencies. Section 38 gives the definitions, section 39 is about the Assembly constituencies, section 40 relates to representation of Pondicherry in the House of the People, section 41 relates to duties of Delimitation Commission, Associate Members and procedure as to the delimitations. So, identical provisions are available in the Union Territories Act. So, the Union Territories have to do the delimitation by virtue of the provisions contained in sections 38-42 of the Government of Union Territories' Act. But, this Act has not been repealed. The Delimitation Act of 1972 is repealed only by virtue of clause 12, but the Government of Union Territories' Act has not been repealed. As far as the delimitation of the Union Territory of Pondicherry is concerned, whether Union Territories' Act is applicable or this Bill is applicable, the hon. Minister may kindly clarify.

Then, I want to say - I may kindly be excused for going out of the track, but I won't go -- that, in Pondicherry, elections for panchayat were held in the year 1967. It was for a period of five years. It expired in the year 1972. Since 1972, no election has been conducted in the Union Territory of Pondicherry. For the last 30 years, no elections for panchayat have been conducted. I believe, the Government of India wrote several letters to the Government of Pondicherry to conduct elections, as early as possible. But it has not been done. Article 256 of the Constitution says, "The executive power of every State shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by Parliament and any existing laws which apply in that State, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to a State, as may appear to the Government of India to be necessary for that purpose." (*Time-bell*) Sir, it is an important matter. So, according to article 256 of the Constitution, the Government can give a direction to conduct the elections. Therefore, I request the hon. Minister to give a direction to the Pondicherry Government, as per article 256 of the Indian Constitution, for holding elections. Otherwise, the Pondicherry Government will file some sort of writ petition, get a stay order, and drag on the proceedings. The stay order has been vacated about three or four months ago. I am having a fear that even such sort of writ petition may be filed, and the proceedings may be dragged on. So I would like to submit that a direction may kindly be issued to the Pondicherry Government, as per article 256 of the Indian Constitution, to conduct elections. It was Rajiv Gandhi's imagination. As far as Pondicherry is concerned, the Congress Party is ruling. Let them conduct elections immediately. Otherwise, if they do not comply with article 256 of the Constitution, I think, the provisions of article 355 can be invoked against the Union Territory of Pondicherry. Thank you.

श्री मूल चन्द मीणा: उपसभाध्यक्ष महोदय, परिसीमन विधेयक, 2002 मंत्री जी लाए हैं, सबसे पहले तो मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहूंगा कि बहुत दिनों से आप चाहते थे कि लोक सभा क्षेत्र और राज्यों के विधान सभा क्षेत्रों का डीलिटेशन होना चाहिए। इस बिल को मंत्री जी अच्छी मंशा के साथ लाए हैं, इसके लिए मैं उनको तो धन्यवाद देना चाहूंगा ही, साथ ही इसकी आवश्यकता भी थी क्योंकि देश की जनसंख्या बढ़ रही है, देश में एस.सी./एस.टी. के लोगो की जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन लोक सभा और विधान सभा के जो क्षेत्र हैं, उनमें कोई समानता नहीं है। चुनाव में खर्च समान हो, चुनाव आयोग का यह नियम है कि सभी क्षेत्रों में समान खर्च हो, प्रचार का टाइम भी समान हो। यदि क्षेत्रों की स्थिति देखी जाए तो कई काफी बड़े हैं। इतने बड़े हैं कि उन तक महीने भर में भी आदमी नहीं पहुंच पाता है जबकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां एक दिन में दो-दो राउंड मार लिए जाते हैं। पूर्वी दिल्ली और बाहरी दिल्ली में देखा जाए तो

पूर्वी दिल्ली में चौबीस लाख मतदाता है और बाहरी दिल्ली में इकतीस लाख मतदाता है, पूर्वी मुम्बई में तेईस लाख मतदाता है, बीकानेर में अड़तीस लाख मतदाता है, ठाणे में सत्ताइस-अठाइस लाख है तो चांदनी चौक में तीन लाख छियत्तर हजार है। इस प्रकार कहीं कोई समानता नहीं है। सांसद विकास के लिए फंड दिया जाता है। एक को तीन-चार लाख रुपये खर्च करने की परमिशन है तो एक इकतीस लाख तक खर्च करता है। इससे कैसे विकास होगा ? कैसे डेवलपमेंट होगा ? असमानता इतनी है कि विकास हो ही नहीं सकता है। इसे दूर करने के लिए जो बिल लाए हैं यह एक बहुत अच्छी बात है। 1972 में परिसीमन हुआ था। उसके बाद 1976 में संविधान में संशोधन आया कि 2000 तक कोई परिसीमन नहीं होगा। सन् 1991 में एक संशोधन हुआ। इसमें यह संशोधन हुआ कि 2000 की बजाय 2026 कर दिया गया, लेकिन इसमें भी सीटें नहीं बढ़ाई गईं। अब जो परिसीमन आया है, वह जोड़-घटाव का है। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या कम बसी है उसे समान करने के लिए इस परिसीमन की व्यवस्था की गई है। निश्चित रूप से इसका लाभ क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, जनता को मिलेगा। इस परिसीमन के साथ ही आपने संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में 1991 की जनसंख्या के आधार पर लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा के एस.सी./एस.टी. स्थानों का पुनर्निर्धारण होना चाहिए यह आपने किया है। यह एक अच्छी बात है क्योंकि एक,सी./एस. टी.के साथ काफी समय से अन्याय होता आ रहा है। श्री संघ प्रिय गौतम जी महाराष्ट्र की बात बता रहे थे कि बाबा भीमराय अम्बेडकर 1956 में नवबौद्ध बन गए थे और उन्हें एस.सी.समाज से निकाल दिया गया था। महाराष्ट्र में लोक सभा की छह सीटें थीं और छत्तीस विधान सभा की रिज़र्व सीट्स थीं, वे सीटें छह की बजाय तीन कर दी गईं और विधान सभा की छत्तीस की बजाय अठारह कर दी गईं। 1990 में संशोधन हुआ कि नवबौद्धों को एस.सी. कैटगिरी में जोड़ लिया जाए, उन्हें जोड़ लिया गया लेकिन सीट्स नहीं बढ़ाई गईं। ये तीन ही रहीं, छह नहीं की गईं। विधान सभा की भी उठारह ही रहीं छत्तीस नहीं की गईं। इस परिसीमन से जनसंख्या के आधार पर जब सीटों का पुर्निर्धारण होगा तो एस.सी./एस.टी. वर्ग के लोगों को जरूर लाभ मिलेगा। जो अन्याय हो रहा है उसे दूर करने के लिए यह बिल आया है, अच्छी भावनाओं को लेकर आया है। मंत्री जी, इस परिसीमन बिल के साथ ही चुनाव को भी निष्पक्ष कराना चाहते हैं। चुनाव व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप साथ ही यू.पी., बिहार, वेस्ट बंगाल, जहां चुनावों में जमकर धांधली होती है, गरीब लोग वोट नहीं डाल सकते, एस.सी./एस.टी.वर्ग के लोग वोट नहीं डाल सकते ... (व्यवधान)...

(उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) पीठासीन हुए)

प्रो. रामदेव भंडारी (बिहार): पहले होता था, अब डालते हैं....(व्यवधान)...

श्री मती सरला माहेश्वरी : आप स्वयं स्पष्टीकरण दे दें, मुझे स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : मीणा जी बोलिए। सरला जी, अपनी टर्न पर आप बोल चुकी है, उन्हें बोलने दीजिए।

3.00 P.M.

श्री मूल चन्द मीणा : मैं पश्चिमी बंगाल की बात इसलिए कह रहा था(व्यवधान)..

श्री जीवन राय (पश्चिम बंगाल) : पश्चिमी बंगाल का किसलिए बोल रहे हैं...(व्यवधान)....किसलिए बोलिएगा...

श्री मती सरला माहेश्वरी : सीखिए, पश्चिमी बंगाल से अगर कुछ सीखना चाहते हैं ? भला करना चाहते हैं देश का तो सीखिए पश्चिमी बंगाल से ...(व्यवधान)...

श्री मूल चन्द मीणा : फिर प्रजातंत्र ही नहीं रहेगा, आप लोगों से सीख लिया तो ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष(श्री सुरेश पचौरी) : जीवन राय जी....(व्यवधान)...

श्री जीवन राय: पश्चिमी बंगाल का ...(व्यवधान)...इतना ज्यादा है हम नहीं कर सकते(व्यवधान)....

श्री संघ प्रिय गोतम : उपसभाध्यक्ष जी, यह पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट ...(व्यवधान)...

श्री मूल चन्द मीणा : उपसभाध्यक्ष जी, जो वास्तविक बात है, जो सामने है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी यूपी में गोंडा का चुनाव हुआ। गोंडा एक विधान सभा क्षेत्र है। उसमें 10 बजे वोट डल गए। सारे वोट ही 10 बजे डाल दिए गए। 10 बजे तक सारे वोट डाल दिए गए। इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी होता है। पिछले इलेक्शन में मैंने देखा है कि गांव के अंदर ...(व्यवधान)...

श्री मती सरला माहेश्वरी : पश्चिम बंगाल जाकर आपने क्या देखा है ...(व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : सरला जी ...(व्यवधान)...

श्रीमती सविता शारदा (गुजरात) : महोदय, पिछली बार जब हम कोलकाता गए थे तो वहां के लोकल लोगों ने बताया कि जब वेटिंग का टाइम आया तो बाहर से कुड़ियां लगा वो गर्थी और कहा गया, अगर वेटिंग कहने जाओगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा . इसकी गवाही वहां के लोग वे सकते हैं..... (व्यवधान)

श्री मती सरला माहेश्वरी : चुनाव आयोग की रिपोर्ट देखें, वह क्या कहता है ...(व्यवधान)...चुनाव आयोग की रिपोर्ट है ...(व्यवधान)...

श्री मती सविता शारदा : मैं अपनी अनुभव बता रही हूं, मैंने चुनाव आयोग के बारे में कुछ नहीं कहा ...(व्यवधान)....

श्री मती सरला माहेश्वरी : इसलिए क्यों बोल रही है। संसद के पटल पर गलत बातों को नहीं रखिए ..(व्यवधान)...

श्री मूल चन्द मीणा : उपसभाध्यक्ष जी, यह परिसीमन 1991 की जनसंख्या के आधार पर रखा गया है। अभी 2001 में जनगणना हो गयी है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि परिसीमन की जनसंख्या का आधार 2001 की जनगणना को रखा जाए तो इससे ज्यादा लाभ होगा क्योंकि जनसंख्या तो हर साल बढ़ती है। इसमें शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या बहुत बढ़ी है। आप 1991 की जगह 2001 कर दें तो इससे शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के क्षेत्र बढ़ जाएंगे, उनको जनसंख्या का लाभ मिल सकेगा। यह परिसीमन 20-25 साल पहले से नहीं हुआ है। एक तिथि नियत कर दें कि हर जनगणना के साथ यह परिसीमन होता रहेगा। यह निश्चित कर दें कि परिसीमन हर जनगणना के साथ होता रहेगा। यह फिक्स कर दें।

साथ ही परिसीमन आयोग की जो अवधि आपने दो साल रखी है कि इस समय में पूरा करेगा, यह अवधि ज्यादा है। इसको कम किया जाए। इसको एक साल करें क्योंकि मैनुअल कार्य आजकल कंप्यूटर्स से होता है और जब कंप्यूटर्स हमारे पास हैं तो इसमें शीघ्रता भी हो सकती है। यह आयोग अपना काम साल भर में भी कर सकता है। कोई भरोसा नहीं है साल भर में कोई विधान सभा के चुनाव भी हो सकते हैं। क्या पता लोक सभा के चुनाव हो जाएं। इसलिए उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए वास्तव में आपको लाभ ही पहुंचाना है, लाभ ही देना है तो यह दो साल के बाजार एक साल में अपना काम पूरा करे, यह परिवर्तन इसमें कर दें।

साथ ही आज चुनाव बहुत महंगा हो गया है। इस महंगे जमाने में इस पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। चुनाव महंगा है कि कोई व्यक्ति, गरीब आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। इसलिए चुनाव के खर्च को कम करने के लिए कोई ऐसा आधार बनाना चाहिए या सरकार की ओर से चुनाव खर्च पार्टी के उम्मीदवारों को देना चाहिए जिससे कि चुनाव का जो बढ़ा हुआ खर्च है उसमें हर आदमी, हर उम्मीदवार मुकाबला कर सके। नहीं तो स्थिति बहुत दयनीय है। शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स की जो रिजर्व सीटें हैं उनकी स्थिति और भी दयनीय है। ऐसा है कि एससी एड एसटी की सीटें परमानेंटली रिजर्व हैं और वे 50 साल से रिजर्व चली आ रही हैं। ऐसी सीटों में चार बार या पांच बार रोटेशन होना चाहिए। उसका परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र में रहने वाले जनरल कास्ट के लोगों में भी उस क्षेत्र में वोट डालने की इच्छा नहीं रहती है। तभी तो उस क्षेत्र में वोट कम पड़ते हैं। अब उस उम्मीदवार को वे कैसे लाते हैं, एससी, एसटी का उम्मीदवार भी जो अनपढ़ होगा, जो उनकी जेब का होगा, ऐसे उम्मीदवार को वे चुनते हैं। अच्छे या पढ़े-लिखे आदमी या फिर कोई विद्वान शैडयूल्ड कास्ट, शैडयूल्ड ट्राइब के आदमी को वे वोट नहीं देते हैं। उसके साथ बड़ा अन्याय करते हैं। इसलिए आप रोटेशन यानी जो परमानेंट रोटेशन है, इसमें तो संशोधन करिए, चाहे 4 या 5 बार फिक्स कर दें कि पांच बार तक यह रिजर्व रहेगा, पांच बार के बाद उसको चेंज कर दिया जाएगा, जिससे वहां के जनरल कास्ट के लोगों को भी मौका मिल सके। इसलिए यह संशोधन आप कर दें तो अच्छा होगा कि इस परिसीमन के साथ उनको भी लाभ मिल सके, यही मैं कहना चाहता हूँ।

प्रो. रामदेव भंडारी : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, परिसीमन विधेयक, 2002 एक परिसीमन आयोग की स्थापना के उद्देश्य से लाया गया है। पिछली बार 1971 में परिसीमन की कार्यवाही हुई थी और उसके बाद 2002 में यह बिल सदन में लाया गया है। काफी अर्सा बीत गया, लगभग तीस वर्ष के बाद यह बिल लाया गया है। इन तीस वर्षों में देश की लोक सभा

और विधान सभा क्षेत्रों की जनसंख्या में काफी वृद्धि होने से कई प्रकार की असमानताएं, विसंगतियां और विकृतियां आई हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक था कि इस प्रकार का बिल सदन में लाया जाए। मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। परिसीमन आयोग 1971 की जनगणना के आधार पर स्थानों की कुल संख्या को प्रभावित किए बिना, 1991 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों की संख्या भी पुनः नियत करेगा। अच्छा होता कि 2001 की जो जनगणना हुई थी और मॉडर्न टेक्नोलोजी, लेटेस्ट टेक्नोलोजी को आधार बना कर, 2001 को आधार बना कर, परिसीमन आयोग की स्थापना करते, क्योंकि दस वर्षों में, 1991 से लेकर 2001 तक, जनसंख्या में वृद्धि की वजह से काफी असमानताएं और विसंगतियां आई होंगी।

महोदय, मैं कुछ बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एससी, एसटी के संबंध में हमारे कई माननीय सांसदों ने चर्चा की है कि उनकी आबादी में काफी वृद्धि हुई है। पहले जो 15 और साढ़े सात प्रतिशत की बात थी तो उसके अनुपात में उनकी सीटों की संख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए, यह मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा। मेरे सामने कुछ पार्लियामेंटी कंस्टीट्यूंसी के आंकड़े हैं। हमारे यहां बिहार में 10, 11, 12 लाख के थोड़ा 10-20 प्रतिशत इधर-उधर मतदाता होते हैं। पूर्वी दिल्ली में 24 लाख मतदाता हैं, आउटर दिल्ली में 31 लाख हैं, वहीं चांदनी चोक में 3 लाख 76 हजार मतदाता हैं। जबकि जहां तक मुझे जानकारी है, रवि जी बैठे हुए हैं, सिर्फ पटना पश्चिम विधान सभा में तीन लाख से अधिक मतदाता हैं, मुंबई उत्तर में 23 लाख और थाने में 31 लाख मतदाता हैं। जनता यह चाहती है कि उनके प्रतिनिधि लगातार उनके संपर्क में रहें। उनके सुख-दुख में, शादी-ब्याह में, तीज-त्यौहार में, ईद-बकरीद में उनके प्रतिनिधि उनके संपर्क में रहें। लेकिन किसी भी तरह से यह संभव नहीं रहता कि इतनी बड़ी जनसंख्या और इतने बड़े मतदाओं के लगातार वे संपर्क में रहें। दूसरी ओर बहुत कम मतदाताओं से संपर्क से प्रतिनिधि का काम चल जाता है। तो वह बड़ी विसंगतियां हैं, विकृतियां हैं जिन्हें दूर किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं महसूस करता हूँ और पुनः एस.सी./एस.टी. के बारे में कहना चाहूंगा कि आजादी के 54 वर्ष बाद भी जो अधिकार संविधान की मूल भावना के तहत रखा गया है, अभी तक उन्हें हम वह अधिकार नहीं दे पाए हैं चाहे वह राजनीतिक अधिकार हों या सामाजिक, आर्थिक अधिकार हों। उन के लिए अभी भी विशेष अवसर की जरूरत है। महोदय, उन की कांस्टीट्यूंसी पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा होता है कि जो बड़े लोग हैं जिन की कांस्टीट्यूंसी शेड्यूलड कास्ट या शेड्यूलड ट्राइब की आरक्षित कांस्टीट्यूंसी बन जाती है, वह प्रयास करते हैं कि हम किसी ऐसे प्रतिनिधि को जिताकर ले जाए जो नाम से तो एस.सी./एस. टी. से जुड़ा हुआ हो, लेकिन काम वह उन का करे जिन के द्वारा जीतने में उसे मदद मिली है। मैं जानता हूँ कि यह बात समाज को देखनी है या जो उस क्षेत्र के मतदाता हैं, उन को देखनी है, सरकार इस में बहुत मदद नहीं कर सकती है। महोदय, मेरे यहां एक पार्लियामेंटरी कांस्टीट्यूंसी थी जब वह रिजर्व कांस्टीट्यूंसी बनी तो एक बड़े आदमी में घर में जो हलवाहा था, उस को उन्होंने पार्लियामेंट का मेंबर बनाकर भेज दिया। तो इस प्रकार की बातें भी होती हैं।

महोदय, परिसीमन में एक कठिनाई और भी आती है। मेरे यहां एक मुख्य मंत्री थे, वे दो पंचायतों को दूसरी कांस्टीट्यूंसी से काटकर अपनी कांस्टीट्यूंसी में इसलिए लाए कि उन की

जाति के बहुसंख्यक लोग उन दोनो पंचायतों में थे। ... (व्यवधान)... मैं 20-25 बरस की बात कर रहा हूँ। इसलिए इस काम में बड़ी सावधानी की जरूरत पड़ेगी।

महोदय, मैं भी महसूस करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज का इस आयोग का चैयरमेन बनाया जाए। वैसे तो रिटायर्ड जजों के लिए भी मेरे मन में पूरा सम्मान है, मगर मैं चाहूँगा कि सिटिंग जज को चैयरमेन बनाया जाए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि शेड्यूल्ड कास्ट/ शेड्यूल्ड ट्राइब मे से इसे इस आयोग के गठन में रिप्रजेंटेशन होना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है कि एस.सी./एस.टी. की बात करने वाला कोई सदस्य इस आयोग में हो जो कि मानसिक रूप से उन की भावनाओं से जुड़ा हुआ हो और उन की पीड़ा व कठिनाई को समझता हो। इसलिए आयोग में एस.सी./एस.टी. के सदस्य की भी आवश्यकता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पुनः एक बार मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि देर से सही, उन्होंने सदन में परिसीमन विधेयक, 2002 पुरः स्थापित किया है। अभी मीणा जी कह रहे थे कि लोक सभा चुनाव से पहले यह आयोग अपनी रिपोर्ट दे दे और सरकार उस पर कार्यवाही करे। वैसे जो स्थिति है, उस में ऐसा लगता नहीं है कि यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर सकेगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके सरकार इस आयोग की स्थापना करे और उस की रिपोर्ट लेकर कार्यवाही करे। उपसभाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आप का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्ता करता हूँ।

SHRI R. S. GAVAI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I support the Delimitation Bill, 2002. At the same time, I extend my sincere thanks to the hon. Law Minister for coming forward with this Bill which was due since long. I also express my sincere thanks to Shri Sangh Priya Gautam who has relieved me from making an exhaustive speech. I have heard his speech which was full of rationale, logic and sincere sentiments for the cause of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the weaker sections of the society.

I will deal with the objectives of the Bill. The Bill provides for readjustment and division of each State into territorial constituencies on the basis of the 1991 Census. Whatever suggestion has been made I support that suggestion. The second objective of the Bill is that articles 330 and 332 of the Constitution, as amended, provide for refixing the number of seats reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the House of the People and the Legislative Assemblies of States on the basis of the population ascertained by the 1991 Census. I fully support the first objective. So far as the second objective is concerned, they are trying their best to achieve this goal since 1957. Therefore, I welcome the second objective. I also support' Shri Sangh Priya Gautam and Shri Moolchand Meena who -have dealt with the peculiar case of Maharashtra. Dr. Ambedkar, the chief architect of the Indian Constitution, embraced

Buddhism at Nagpur on 14th October, 1956. At that time, I was a law student. I also accepted Buddhism along with Dr. Ambedkar on the same day. At that historical event, unparalleled in the whole world, lakhs of people accepted Buddhism. This place is in Maharashtra. This place is known as the Dikshabhoomi, Nagpur which is of international reputation. Fortunately, I am the Chairman of this Trust. I had invited my friend, Shri Ravi Shankar Prasad to visit that place. Of course, the Prime Minister was there. Shri Advaniji, Shri Pramod Mahajan and Shri Sangh Priya Gautam were also there. I requested them to join my Trust.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (Bihar): Sir, it is really a place to visit. It is a wonderful place. As the Chairman of the Trust, he deserves our full praise.

SHRI R.S. GAVAI: Sir, in 1970 I sat on a hunger strike in front of Parliament. At that time, I was the Deputy Presiding Officer. I did not care for my position. I was demanding restoration of facilities to the people who were converted to Buddhists from the Scheduled Castes. I remember the speech of Dr. Ambedkar. Many people have misinterpreted his speech. He asked, "Why select the place, Nagpur? I don't have any anger towards Hinduism. But I do want social revolution, social transformation. And I do believe that this is the philosophy of Lord Buddha; that is the Indian culture of the Lord Buddha." He said, "Why are you scared? I am the chief architect of the Indian Constitution." When many felt that after the mass conversion to Buddhism, they would be deprived of the facilities, social, educational, economic and political, he said, "All these facilities are in the pocket of my coat. Don't worry. Our intention is very good. Our intention is for total integration of the country. Our intention is social transformation." Unfortunately, the great man died on 6th December, just after two months of this event. We were wondering what he would have got in his pocket that he was to offer. I wrote a book on this subject named "Facilities to Buddhists -- Case before people". Religion is not the basis for according facilities to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The criterion is the social backwardness of the people. Anyhow, in 1990, the then Prime Minister, Shri V.P. Singh accorded these facilities to those Scheduled Caste and Scheduled Tribe persons also who converted to Buddhism. Earlier, since 1956, they were enjoying the social, economic and educational facilities, but they were deprived political facilities. Since 1990, twelve years have elapsed, but this has not been implemented. For this very cause, I sat

on a dharna before Parliament and I went on a hunger strike. Since it was not a movement for my personal pleasure, I wanted to ensure that whatever injustice was done, it was corrected, and I hoped that suitable provisions would be made for this in the Bill. Sir, I do agree with the views expressed by Shri Sangh Priya Gautam and Shri Moolchand Meena and I extend my personal thanks to them. The position was that six per cent of the people amongst the Scheduled Castes accepted Buddhism in 1956. And, they said, "We are no longer the Scheduled Castes. We are Buddhists. We are ready for any eventuality, even at the cost of losing the privileges. We don't want to take any facilities of reservation. Neither me nor my children would ask for it." But, Sir, their real need is to be addressed. Our Minister is a young, energetic and enthusiastic person. We all know that there was reduction of the seats in the Legislature and Parliament. The Members were mentioning some figures saying it was reduced, from 6 to 3 in Parliament and from 36 to 23 in the State Legislature. So, my request to the hon. Minister is to restore the number to its original level and to maintain the *status quo* as far as the reserved seats for the State Legislature and Parliament in relation to Maharashtra are concerned. Once again, I say that I welcome the Bill. Thank you.

श्री खान गुफरान जाहिदी (उत्तर प्रदेश) : वार्डस-चेयरमैन साहब, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि 1972 के बाद यह जो कोशिश हो रही है, पूरा देश इसको पसंद करता है। बहुत दिनों से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। महोदय, 5(1) में आपने एसोसिएट मेंबर्स का जिक्र किया है और उसमें आपने 5 सदस्य लोकसभा से और 5 सदस्य असेंबली से रखने की बात कही है। आपने यह भी कहा है कि अगर उस स्टेट में लोकसभा के 5 सदस्य नहीं हैं तो उसमें कमी भी हो सकती है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति हो, तो उसके रिप्रेजेंटेशन को प्रॉपर करने के लिए राज्यसभा से भी कोई सदस्य दिया जा सकता है ताकि उस स्टेट के रिप्रेजेंटेशन में कमी न आए।

महोदय, मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि आप पहले एक विधेयक लेकर आए, कि 25 साल तक सीटों को नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके पीछे कौन सी पालिसी काम कर रही है, यह बात समझ में नहीं आई। यह बात तो आप अपनी वजाहत से कहेंगे कि 25 साल तक सीटों को नहीं बढ़ाया जाएगा, इसके कौन से आधार हो सकते हैं, जब कि पापुलेशन बढ़ रही है? हर जगह तरक्की के तमाम अवसर पैदा हो रहे हैं ओ रिप्रेजेंटेशन के कोई हदें होनी चाहिए। यदि 30-30 लाख की आबादी पर एक रिप्रेजेंटेटिव हो और उसके बाद 10 लाख पर एक रिप्रेजेंटेटिव हो तो उस रिप्रेजेंटेशन का क्या औचित्य होगा, क्या वह उसका प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकता है? इसलिए मैं समझता हूँ कि सीटों को बढ़ाने के सवाल पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसको लाना चाहिए और सीटों को बढ़ाना चाहिए।

महोदय, सेंसस कमिश्नर ने जो रिपोर्ट तैयार की, उसको आपने बेस बनाया है। अभी हाल ही में यू.पी. में जो असेंबली के इलेक्शन हुए, उसमें रामपुर जिले में वीकर सैक्शंस के 25,000 वोटर्स काट दिए गए, जिनमें माइनोंरिटीज के भी काफी वोटर्स थे और उस केस में एक डी.एम. और एस.डी.एम. का सर्पेशन हुआ। वहां आपकी सरकार थी। वे लोग पकड़े गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सेंसस की रिपोर्ट कितनी मजबूत रिपोर्ट है जिसके आधार पर आप इस डि-लिमिटेशन कमीशन के जरिए टैरिटरिज को मुकर्रर करके असेंबली और पार्लियामेंट की कांस्टीट्यूएँसीज को चॉक-आउट करेंगे।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि इसमें कहीं न कहीं यह बात होनी चाहिए कि अगर कहीं कोई छुट गया हो तो आप एक महीने तक इस कमीशन के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। सेंसस की रिपोर्ट को बहुत जगह चैलेंज भी किया गया है। इसलिए यह करना जरूरी है। यह जो डि-लिमिटेशन कमीशन होगा, इसकी पोजीशन क्वासी-जुडिशियल है? मैं चाहता हूँ कि इसमें सिटिंग जज का चेयरमैन बनाए जाए। जैसे आप सिटिंग मिनिस्टर है, आपकी अलक पोजीशन है और बहुत से हमारे जैसे एक्स-मिनिस्टर धूम रहे हैं, उनकी अलग पोजीशन है। आपकी अपनी ऐहमियत है। आप वक्त से आएंगे, एक-एक चीज को बारीकी से देखेंगे, हमारे पास तो फुरसत नहीं है। इसलिए इस कमीशन का चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज ही होना चाहिए।

महोदय, मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जैसा हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों जैसे गौतम जी और मीणा जी ने कहा और मैंने भी देखा कि असेंबली में माइनोंरिटीज का रिजल्ट गिर रहा है। 1977, 1980, 1989, 1993, 1993, 1996 और अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ, उसमें माइनोंरिटीज का रिप्रैजेंटेशन कम हुआ है। यही नहीं पार्लियामेंट में भी बराबर माइनोंरिटी का रिप्रैजेंटेशन कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? यह इसलिए हुआ है कि जहां पर उनकी कुछ थोड़ी-बहुत इलेक्शन के पाइंट आफ व्यु से, इंतखाबी हिसाब से, जहां से हो सकते थे या थोड़ी बहुत तादाद उनकी बढ़ी थी, वहां-वहां पर हमारे एस.सी. भाइयों के लिए सीटें रिजर्व हो गईं। जैसे फतेहपुर की सीट है। एस.सी.एस.टी. के लोगों की संख्या किशनपुर में उतनी नहीं है जितनी कि माइनोंरिटी के लोगो की है, लेकिन फिर भी वह सीट रिजर्व कर दी गई और वह पिछले 25 साल से रिजर्व चली आ रही है। हमारे ख्याल से रोटेशन का जो सिस्टम रखा गया था, वह इसलिए रखा गया था कि हर इलाके में एस.सी. भाइयों का प्रोपर रिप्रजेंटेशन हो जाये और वहां के लोगों को कुछ अहमियत का अहसास हो जाए या कुछ डेवलेपमेंट हो जाए। इस तरह से बदल-बदल कर अपने उस वीकर सैक्शन को डेवलेप करने का मौका दिया जाए, इसलिए उनके रोटेशन का सिस्टम रखा गया था। मैं समझता हूँ कि रोटेशन सिस्टम बिल्कुल ठीक है। इसमें न आपने कुछ कहा है, न इसमें मुझे कोई एतराज है। लेकिन इसमें एक कम्पोजीशन तो होना चाहिए। कुछ एसोसिएट मेम्बर्स का एक कम्पोजीशन तो होना चाहिए। जैसे हमारे यहां 20 पाइंट प्रोग्राम में इंदिरा जी ने किया था। उन्होंने एक बात का समझा कि नीचे वीकर सैक्शन हर जगह पर मिस हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने जितनी भी सलेक्शन बॉडी होती थी, जितनी भी इस तरह की खुली चीजे होती थी, उनमें एक रिप्रजेंटेटिव एस.सी. और एक रिप्रजेंटेटिव माइनोंरिटी का रख दिया था जिससे कि कम्पोजीशन सही हो जाए। आप भी इस कांस्टीट्यूशन के हिसाब से, इस मुल्क के मिजाज को ऐसा बनाना चाहते हैं, गंगा-जमुनी तहज़ीर

के हिसाब से वह बने। अगर कास्टिज्म और कम्युनलिज्म को खत्म करना है तो डि-लिमिटेडशन कमीशन का बहुत बड़ा काम है कि वह इस तरह से अपने काम को पूरा करे, कास्टिज्म खत्म हो, उसमें कमी आये। कास्टिज्म खत्म तो नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें कमी आ सकती है। ऐसा रिप्रजेंटेशन होना चाहिए जिसमें माइनारिटी का रिप्रजेंटेशन भी होता रहे।

आप कृपया धारा छह को देखिए। उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी की तवज्जो इसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ the office of the Chairman or of a member or an associate member falls vacant owing to his death or resignation" और ceases to be a Member of the House. अगर वह किसी हाउस का मेम्बर नहीं है तो क्या वह मेम्बर रह सकता है। यह एक सवाल है। कमीशन को मेम्बर होना, हाउस के मेम्बर की बुनियादी पर ही कमीशन का मेम्बर होगा। This is missing here पता नहीं यह आपकी नज़र से कैसे छूट गया, माननीय मंत्री जी, इस बात का बड़ा लिहाज़ करते हैं कि कहीं शब्द इधर से उधर न हो जाएं। यह मिस हो गया, Or ceases to be a Member of the House, यह एक इसमें वर्ड बनना चाहिए।

दूसरा आपने सिर्फ़ एक्स आफिसियों मेम्बर रखे हैं, चीफ़ इलेक्शन कमीशनर, स्टेट कि इलेक्शन कमीशनर, ये सब एक्स आफिसियों मेम्बर है। बाकी आपने धारा-5 में कहा है कि रजिस्ट्रार, सेंसस बोर्ड को बुलाया जा सकता है, सर्वे आफ इंडिया बुलाया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपर्ट बुलाया जा सकता है। जिसकी जरूरत है उसको बुलाया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशनर एक्स आफिसियों मेम्बर या उसका नोमिनी की एक परमानेंट हैसियत होनी चाहिए। इसलिए कि आपने इसके वोटिंग राइट्स में कोई हिस्सा नहीं रखा है, एक्स आफिसियों मेम्बर को तो आपने कोई वोटिंग राइट नहीं दिया है। लेकिन इतना जरूर आपने किया है कि वह अगर डिसेंट करता है तो मैं इसको बड़ा जम्हूरी और पार्लियामेंट की जम्हूरियत में एक बहुत बड़ी बात मानता हूँ कि इसका पब्लिकेशन किया जाए। यह आपने इसमें बहुत ही क्लियर किया है और किस तरह से किया जाए और कैसे किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूम हो जाए कि परिसीमन हो रहा है अब उस का काम शुरू हो गया है। मैं आपसे सिर्फ़ यह कहना चाहता हूँ कि किस चीज़ के आने की डिलिमिटेडशन है ? यह एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि इस विषय से संबंधित नहीं है। लेकिन पूरे पचास साल गुजरने के बाद या तो छापामारी हो, खूब छापे पड़ते हैं, तब 70, 80, 90 परसेंट वोट गिरता है, यह तो मंत्री जी मानकर चलिए। आपका भी बड़ा तजुर्बा है, हम भी ज़मीन से निकलकर इधर तक आये हैं। असेम्बली में भी कई वर्षों तक बैठे हैं, उसके बाद यहां आपके पास आये हैं, यहां आपके सामने खड़े हैं। जहां-जहां पूरी छापामारी होती है, संघ प्रिय गौतम जी भी इसका मानेंगे, वहां 70,80,90 सरसेंट पहुँचते हैं, पचास-पचास सीटों पर और वीकर सेक्शन और ऐसे सेक्शन जो बिल्कुल नहीं जा सकते, उन्हीं को रूकावट होती है। हमने कम्युनल रायट तो सुने हैं, जैसे अभी बहन जी बोल रही थी, लेकिन वोट रायट बहुत जबरदस्त होते हैं, इलेक्शन रायट्स कौन से सूबे में, इलेक्शन के दौरान कितने पॉलिटीकल लोगों के मर्डर होते हैं ?

श्री संघ प्रिय गौतम : प्रो. रामदेव भंडारी जी से पूछ लीजिए।

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी : मैं प्रो. रामदेव भंडारी जी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आपने इंगित कर दिया है तो सभी समझ लें।(व्यवधान)...

प्रो. रामदेव भंडारी : पहले होता था, हमारे मित्र बैठे हुए है यहां, मगर जब से लालू जी मुख्य मंत्री हुए , तब से पूरी तरह नहीं तो बहुत हद तक इसमें कमी आई है ।...(व्यवधान)....

श्री राजीव रंजन सिंह “ललन” (बिहार) : जब से लालू जी मुख्य मंत्री हो गए, तब से क्या-क्या हो रहा है, इस पर बहस मत कीजिए, नहीं तो आपको बहुत सुनना पड़ेगा ।...(व्यवधान)....

श्री खान गुफरान जाहिदी : मान्यवर, मैं सिर्फ यह बात कह रहा था कि हमारे अवाम में वोट डालने की लगन, रुचि, उनमें जज्बा पैदा करना कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएं, उनमें यह भाव और रुचि पैदा करना हमारा कर्तव्य है । परिसीमन में भी कुछ लोग जो पोलिटिकल लाइन्स पर इंटरस्टेड होते हैं, वे ही ज्यादातर परिसीमन में हिस्सा लेते हैं ।

महोदय, हमारे यहां फतेहपुर एक छोटा सा ज़िला है । जब मुल्क आजाद हुआ था तब उत्तर प्रदेश में 35 जिले थे, अग 85 हो गए हैं और इस 85 होने में माना कि हमारा जिला नहीं कटा मगर बहुत से जिलों में कई नए जिले बन गए हैं । इलाहाबाद में कौशाम्बी हो गया , फैजाबाद में अम्बडकर नगर हो गया , मुरादाबाद में फुल्ले नगर हो गया । मेरे जिले फतेहपुर के बारे में मेरा कहना है कि यह कैसा परिसीमन था ? इसमें आपने लिखा है जो लास्ट लाईन में आया है 9 नंबर पर —

(a) all constituencies shall, as far as practicable, be geographically compact areas, and in delimiting them regard shall be had to physical features, existing boundaries of administrative units, facilities of communication and public convenience.

यह आपने क्राइटीरिया बनाया है या एक लाइन ऑफ ऐक्शन लिया है कि इस आधार पर आप ऐसा करेंगे ? इसमें आप देख लीजिए, उसकी छः कंस्टीट्यूएंसीज है, खागा, हसबा, फतेहपुर, बिन्दकी, जहानाबाद औरकिशनपुर । इन छः कंस्टीट्यूएंसीज में जहानाबाद को काटकर कानपुर , खागा को काटकर इलाहाबाद कर दिया गया और फतेहपुर में जब चार कंस्टीट्यूएंसीज रह गई तो कहा गया कि बांदा से एक कंस्टीट्यूएंसी को उठा कर ले लिया जाए । This is nothing but political manoeuvring. हमारे यहां जब पास हो सकती है तो एक को आप कहीं और दे सकते हैं लेकिन जो लोग पावर में थे, उन्होंने उस कंस्टीट्यूएंसी को ऐसा carve out किया कि जहां casteism भी बढ़ सकता है और हर चीज़ बढ़ सकती है । तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इसमें यह भी होना चाहिए कि compact जहां तक हो सके एक डिस्ट्रिक्ट की पार्लियामेंटरी पोजिशन को बनाए रखा जाए । अब आपने उत्तरांचल बना दिया । उत्तरांचल में 5 पार्लियामेंटरी सीटें चली गईं, 22 सीटें असेम्बली की गईं । आप एक ऐक्ट ले लाए, 22 को आप 60 कर सकते हैं, 60 सीटों की असेम्बली हो गई । आप झारखंड में सीटें बढ़ा सकते हैं, छोटी-छोटी सीटें बढ़ गईं । आप छत्तीसगढ़ में सीटें पा बढ़ा सकते हैं लेकिन सूबे को बिल्कुल नजरअंदज कर दिया गया नए सूबे एसी सिटो पा रहे हैं जो मुनासिब भी है ,जो जा सकती है । तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि ज्योग्राफिकल फीचर्स को देखते हुए, कम्युनिकेशन को देखते हुए कम्पैक्ट इस तरह की सीटें बनाई जाएं जिससे कि एक पोलिटी बने, एक ऐसा

सामाजिक ढांचा तैयार हो जिससे कि हमारा रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हो सके और कास्टिज्म का खात्मा भी हो सके। इन्हीं शब्दों में साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

† **मिर्जा अब्दुल रशीद** (जम्मू और कश्मीर) : थैंक यू वाइसचेयरमैन साहब, मैं इस बिल की सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ। मैं मंत्री जी को मुबारक देता हूँ कि आप बहुत अच्छा बिल लाए हैं। इस बिल पर सैरहासिल तबसरा हो चुका है इसलिए मैं इसकी तफसील में न जाते हुए इतना जरूर कहूंगा कि हमारी रियासत जम्मू-कश्मीर में इतनी तफ़ावत है कांस्टीट्यूंसी के वोटर्स लिस्ट जम्मू में कि डिवीजन में जम्मू की एक कांस्टीट्यूंसी है जिसकी आबादी छत्तीस लाख है और वोटर्स अठारह लाख है। एक कांस्टीट्यूंसी ऐसी भी है जिसकी आबादी डेढ़ लाख है औ वोटर्स अस्सी हजार है। अगर इतना बड़ा फर्क हो तो देखा जाता है कि बड़ी नाइंसाफी होती है इसलिए यह बहुत अच्छा हुआ कि इस बिल के बाद रेशनेलाइजेशन होगा ओर यह नाइंसाफी, जो तीस-चालीस सालों से चली आ रही थी इसका खात्मा होगा। एक प्वाइंट, जो मैं मंत्री जी क नोटिस में लाना चाहता हूँ वह यह है कि हमारी जम्मू-कश्मीर की रियासत हर बार, हर मामले में न्यारी होती है। जम्मू-कश्मीर का जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वह हमारे कश्मीर का हिस्सा है, हमारे भारत का हिस्सा है। दि इंडिपेंडेंट ऐक्ट ऑफ 1947 की रोशनी में हमारे मुल्क के दो मुल्क बने और उसके बाद उसी ऐक्ट की रोशनी में, इंडिपेंडेंट ऐक्ट ऑफ 1947 की रोशनी में उस वक्त के अंग्रेज ने 554 रियासतों के राजा-महाराजाओं को इखतियारात दिये कि वे अपनी मर्जी से जिस डोमिनियन में जाना चाहें जा सकते हैं। हमारे महाराज श्री हरिसिंह जी ने अपनी मर्जी से इन्स्ट्रुमेंट ऑफ़ एक्सेशन भारत के साथ साइन किया हुआ है। इसकी रोशनी में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे जम्मू-कश्मीर रियासत का, हमारे भारत का एक हिस्सा है। जिस वक्त सीटों को बढ़ाने का मामला आए या रेशनेलाइजेशन की बात आए तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बढ़ती आबादी को मद्देनजर रखा जाए। जम्मू-कश्मीर की सरकार से और वहां के लोगों से कन्सल्ट करके किस तरीके से रेशनेलाइजेशन किया जाए या यह बात छूट न जाए, यह मैं इनके नोटिस में लाना चाहता हूँ। रेशनेलाइजेशन में जम्मू अठारह लाख आबादी की कांस्टीट्यूंसी है। जम्मू में राजौरी और पूंछ बॉर्डर के दो ऐसे अज़ला है जो पाकिस्तान से मिलते-जुलते हैं। इनके दस लाख के करीब वोट है। हम चाहेंगे कि जब रेशनेलाइजेशन हो या कांस्टीट्यूंसी को बढ़ाया जाए तो इन दो जिलों की एक पार्लियामेंटी कांस्टीट्यूंसी अगर तराशी जाए तो वहां के बॉर्डर के लोगो के लिए यह बहुत मुनासिब होगा, उन्हें बहुत राहत मिलेगी। इतना कहते हुए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सारे हाउस की भी यही इच्छा है और मैं भी इस सपोर्ट करता हूँ और चाहूंगा कि अगर सीटिंग हाई कोर्ट जज इसके चेयरमैन हों तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री मती जमना देवी बारूपाल (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष जी, अगर आप मेरा आग्रह मान लेते हैं तो मैं एक छोटा-सा सुझाव देना चाहती हूँ। आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से विधि मंत्री जी के परिसीमन बिल का समर्थन करती हूँ और साथ ही यह भी मांग करती हूँ कि 1952 में लोकसभा के लिए जो कांस्टीट्यूंसीज तय की गई थी, जैसे गंगानगर, जो राजस्थान में है, आज पचास वर्ष हो चुके हैं लेकिन वहां वही रिजर्व कांस्टीट्यूंसी चली आ रही है। आप सोच सकते *कि पचास वर्षों में कितनी जनसंख्या बढ़ चुकी है इसलिए मैं आपके माध्यम

† Transliteration of the speech in Persian script is available in the 'Hindi version of the Debate.

से यह आग्रह करूंगी कि इतनी बड़ी कांस्टीट्यूएसी को थोड़ा-सा छोटा करना चाहिए और अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर लोक सभा व विधान सभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण को बढ़ाया जाए। आजादी के 54 वर्षों के बाद भी जो अधिकार अनुसूचित जाति को मिलना चाहिए, वह पूरा नहीं मिल पा रहा है। मैं साथ ही यह भी आग्रह करूंगी कि जो भी एम.एल.ए. या एम.पी. चुनाव में खड़ा होता है उसकी छवि को भी देखा जाए, सीनियोरिटी को देखा जाए तथा यह भी देखा जाए कि उसने देश के लिए, समाज के लिए क्या अच्छा कार्य किया है। यह दृष्टि जरूर होनी चाहिए। 1952 की सारूथ एवेन्यू की एक बात बताऊं कि बाबा साहब डाक्टर भीम राव अम्बेडकर ने जो संविधान लागू किया तो उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि तू बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है। अपने अधिकारों के लिए तो बोलना ही चाहिए। मैंने भी चाहे गद्दारी की हो, मैं अपने अधिकारों के लिए इतना बोलकर सुझाव देती हूँ कि अनुसूचित जाति के जो क्षेत्र हैं इनको बढ़ाया जाए और हमें न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया...(व्यवधान)...जनसंख्या के आधार पर ही तो कहती हूँ इसके बिना कौन देगा।

SHRI EKANATH K. THAKUR (Maharashtra): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill. I welcome the Bill, and I thank the hon. Minister for bringing this Bill, which will go a long way in bringing proper equity in the system. Sir, I want to make only two or three points, and I will finish in two minutes.

I would like to invite the kind attention of the hon. Minister to clause 2. At page 2, in the first sentence, it is mentioned: "member" means a member of the Commission..." This sounds like a repetition. It should be: "as member of the Commission under clause 3, hereof." If it is like this, then, it would be clear. It further says: "...includes the Chairman". But in clause 3 (a), the Chairman is mentioned as Chairperson.

It is my request that either we refer to him as Chairman, or, Chairperson, but not both. So, either he should be mentioned as Chairman or Chairperson, and 'member' should be defined properly, i.e., "as member of the Commission under clause 3 hereof."

Now, I come to clause 5(1), which says: "The Commission shall associate with itself for the purpose of assisting it in its duties in respect of each State, ten persons..." And, sub-section (5) of clause 7 says: "The Commission as well as any group of associate members..." Now, in the body of this law, a number of times, associate members have been mentioned individually, while, here, the power to act has been given to any group. So, I suggest, in clause 5(1) where it is mentioned: "for the purpose of assisting it in its duties in respect of each State, ten persons...", we should say, 'group of persons'. Then, under sub-section (5) of clause 7, we

should say 'group of persons', otherwise, the reference to "any group" may create confusion.

Then, I come to sub-section (2) of clause 9. It has been mentioned: "the dissenting proposals, if any, of any associate member who desires publication thereof, ..." It means, only if he desires, a dissenting note would be published; otherwise, it would not be published. So, the benefit of his view will not be available to the people at large, who read the Gazette of India. Therefore, if possible, you should provide that a dissenting note would be published, even if it is not desired.

Then, in sub-section (2) of clause 10, it has been mentioned: "Upon publication in the Gazette of India, every such order shall have the force of law and shall not be called in question in any court." I would like to know whether that will be made non-justiciable under the Ninth Schedule of the Constitution or not. I want to know this from the hon. Minister.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I am extremely grateful to a very large number of hon. Members who have spoken and who have, by and large, supported the legislation. Some very valuable suggestions have been made, and some questions have also been raised. One of the questions which has been raised by some Members is about the delay in bringing this legislation. Sir, if we see the provisions of article 82 of the Constitution, as it was amended by the Forty-second Amendment, the third proviso says "Provided also that until the relevant figures for the first Census taken after the year 2000 have been published, it shall not be necessary to readjust the allocation of seats." So, by virtue of the Forty-second amendment, the delimitation which was done in the year 1972, which was published in 1976, had to continue till such time, till the year 2000, and it was only upon the turn of the century that an occasion to have a fresh delimitation would really have arisen. The second issue which has been raised is that, already, we have the 2001 Census which has been conducted, but the language of article 82 itself makes it clear that it is the published figures of the Census which are relevant, and the last available published figures of the Census are those of 1991. The figures of the 2001 Census will be published not before 2004, and in case we are to wait for those figures, we cannot go for a fresh delimitation till after the next elections. Therefore, when the Eighty-fourth amendment was approved by this hon. House, it was considered desirable, it was discussed at length at that stage, that the fresh delimitation would be on the basis of last available published figures of the

Census which is 1991, in the present case. Sir, a very important question has been raised by several hon. Members - Shri Gavai raised it, Shri Gautam raised it with regard to the position of increase of number of Scheduled Caste constituencies in certain parts of the country. Sir, it is true that in 1957, after the conversion had taken place, particularly, with its impact in Maharashtra, the benefit of reservation was not given to those who had converted. It is also true that in the year 1990, the Constitution Scheduled Castes Order of 1950 was amended. The 1950 Order, originally, mentioned in para 3 that, notwithstanding anything contained in para 2 which published a list of all the Scheduled Castes, no person who professes a religion different from a Hindu religion shall be deemed to be a member of the Scheduled Caste. So, a Scheduled Caste, by its very concept, could only fit into the Hindu religion, and not into any other religion. Subsequently, the word 'The Sikh' was also added to the 'Hindu', and by virtue of the Ninetieth amendment to the Scheduled Castes Order, by virtue of the Constitutional Scheduled Castes Order (Amendment) Act, 1990, the word, 'Buddhist' was also added to this exception. Therefore, currently, the exception reads, 'you can be a Scheduled Caste if you are within the parameters of a Hindu, Sikh or a Buddhist religion.' The implication of this is very clear. Since this came in the year 1990, and since this would be the first delimitation which would be taking place after 1990, all the neo Buddhists would *ipso facto* get included in the list of Scheduled Castes, and when, on basis of the 1991 Census, a delimitation is made, the number of constituencies in those States would, perhaps, increase. I was trying to collect the figures of the increase or decrease of the Scheduled Caste electorate. I do not have the figures in comparison to 1971, but even between 1981 and 1991-- because this fact took place - in Maharashtra itself, the increase is a little over 4 per cent, which implies that the number of constituencies would increase 7 There are some States where it has decreased also, but it is a very marginal decrease. For instance, in Uttar Pradesh, the decrease during this ten-year period was 0.12, in Bihar, it was 0.6, but Maharashtra is predominantly the State where the impact of this increase would be felt. Several hon. Members had raised some valid suggestions. One of the suggestions which Justice Ranganath Misra had made was in regard to section 5; he said that we should be careful In making sure that when the Speakers of the Legislative Assemblies or of the Lok Sabha nominate the associate members, these associate member

should be so nominated that they do not entirely belong to one party, and that there is a cross-section of representation of parties.

Sir, this language is actually a reproduction of the 1952 legislation, the subsequent 1962 legislation, and the 1972 legislation. Clause 5, subclause (2) itself very clearly says that 'the persons to be so associated from each State shall be nominated, in the case of the members of the House of the People, by the Speaker of that House, and in the case of members of a Legislative Assembly, by the Speaker of that Assembly, having due regard to the composition of the House or, as the case may be, of the Assembly. So, when the Presiding Officer of the Assembly or the Parliament has due regard to the composition, that due regard would obviously take into consideration a cross-section of representation of that House, and there would a *pro rata* representation made, in accordance with this Bill. This was the past practice, and there is no reason why this practice would change now.

Some hon. Members have strongly pleaded that the associate members should also be given the voting right. In fact, Prof. Yadav strongly opposed this suggestion. He said that they should not be given the voting right. In none of the previous three legislations, they have been given the voting right, and my strong plea to this House would be against the grant of voting right to the associate members for the reason I recollect, Sir, when Justice Ranganath Misra and Prof. Yadav were speaking, they said that in the United States tailor-making of a constituency by a process of gerrymandering was something which was known. So, in case, associate members are given the voting right, and you have a three Member Commission and ten associate Members, you may actually have a situation wherein some States where delimitation is being made, out of these thirteen Members, the majority of seven may belong to a particular political party. For example, if this group meets, in the context of Punjab, there, the Congress may have more than seven; in the case of Gujarat, the BJP may have more than seven; in the case of West Bengal, the Left Front may have more than seven. Therefore, you will actually have a situation where Members of a political party may actually be able to influence the delimitation in that particular State, and, perhaps, the danger of gerrymandering about which these Members have mentioned would be a lot more, if we just mindlessly say that we should give them the voting right, without realising what could be the consequence of giving the voting right to

the associate members. It has been a well-settled practice that we have never granted them the voting right, by virtue of this legislation, and I see no reason why we must really deviate from that particular practice.

Sir, a lot of Members expressed the view with regard to the freezing of the number of seats. Well, this was done by virtue of the Eighty-fourth Amendment itself, and the reason as to why the Eighty-fourth Amendment froze the seats was given by the Members themselves. The Members have themselves indicated that in case we allowed this to go on, in proportion to the increase in population, then, the representation of those States which have successfully implemented the family planning programmes would go down, and the representation of those States, which have failed to properly implement the family planning programme, *i.e.*, the defaulting States, would go up. It was for this reason that it was done. It was specially discussed in this House, and the Standing Committee had recommended, and this House had also accepted, that the freeze should continue till the year 2026. Sir, the year 2026 was chosen as a cut-off date, not by picking that year out of a hat, but, Sir, it was done because, under the National Population Policy, the year 2026 was expected to be the year when the population is expected to really stabilise.

Sir, a suggestion has been made that in the earlier Bills we had two judges and one member from the Election Commission, it was asked why we are now having only one judge. The reason why we consider the changing of this composition is this. Sir, a, very large part of this exercise is an administrative exercise, and when we conduct this administrative exercise, to have an impartial judge as the Presiding Officer and having two Members from the Central Election Commission and the State Election Commission as members was considered to be a more balanced composition than having an over-representation of judges, because the issue here is to have a fair application of mind. But, Sir, many, many administrative considerations have also to go into the process of delimitation" of constituencies. The issues are not such where there are judicially measurable standards by which the judges have to apply some law and do it. A large part of the exercise is administrative, and, therefore, we have kept a representative even from the National Election Commission and the State Election Commission who, perhaps, may be able to make a much larger contribution, while retaining a judge as the Chairman was to have some element of fairness in this whole process.

4.00 P.M.

Sir, there has been a considerable debate on the question of rotation of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe seats. This Bill does not provide for it. Some of the reasons why it is not done were given by the Members. But if I may honestly submit a reason, it is because there has been no political consensus on the question of rotation itself. Since this is an important piece of legislation, unless we have a larger consensus to implement it or to legislate in regard to it may be a little difficult. There are some dangers in the rotational principle also. Some were pointed out, but let me give a practical example. Scheduled Tribe seats are reserved where the Scheduled Tribe population is the largest. It is quite obvious that Scheduled Tribes Constituencies are represented by Scheduled Tribe candidates. On a rotation principle you may have it in the first instance a tribal area represented by a tribal candidate only. When you rotate it next time, you may actually find a situation where Mumbai City may become a tribal constituency and the tribal constituency itself may be a general constituency. Therefore, for a general candidate to represent those areas on the principle of rotation itself will look odd and for the tribal candidates, who represent the Mumbai Constituency may look odd. These are some aberrations which may also come by virtue of the rotation principle, if the rotation principle were to apply in each and every situation. Therefore, we considered avoiding the rotation for this particular occasion.

Sir, Sarlaji made a very impressive speech. I am not referring to the aspects which Shri Pranab Mukherjee and Gautamji referred to. But, one issue she raised, which does not arise under this Bill, but it certainly arises in relation to another legislation which we have introduced and which we are considering. She mentioned that we are now trying to fine-tune the problem of corrupt practices in elections and use of money power in Rajya Sabha elections by abandoning the principle of secrecy of voting itself. Sir, let me say that we have always preferred the secret method of voting. In a parliamentary or legislative elections, we always have secret method of voting. But, let me remove a misconception. There is no such concept that secrecy of ballot under all circumstances is the sum part of the basic feature of the electoral process. Voting in this House takes place by a process which is anything but secret. When elected representatives elect others, when we elect Committees, when we vote on a resolution, we do not vote by a secrecy principle. In fact, in an issue relating to one present sitting Member in this House, Mr. Tohra, the Supreme Court had an

occasion to consider, I am not mentioning this, even though it does not concern this BHU it concerns the Bill which the Standing Committee headed by Pranab Mukherjee considered, where a vote in the Rajya Sabha election was shown. This itself was a basis of challenge. I will just read two sentences to obviate the impression that you have. The Supreme Court said in Mr. Tohra's case: "If the very secrecy of the ballot, instead of ensuring free and fair elections strikes at the root of the principle of free and fair elections, this basic postulate of democracy would be utilised for undoing free and fair elections, which provides the life-blood to the parliamentary democracy. If secrecy of ballot, instead of ensuring free and fair election is used, as is done in this case, to defeat the very purpose for which it is enacted, to suppress a wrong coming to light and to protect a fraud on the election process or even to defend a crime, that is forgery of ballot paper, this principle of secrecy of ballot, will have to yield to a larger principle of free and fair election." That is to say, if secrecy is going to breed corruption, then transparency, perhaps, may be an answer to this. Therefore, there is no such principle that secrecy under all circumstances will be a virtue and transparency will be a negation of the electoral process itself.

श्री मती सरला माहेश्वरी : मंत्री जी, इसका उल्टा असर भी हो सकता है कि जो काम अभी छुप कर हो रहा है वह खुलेआम होगा। यह तरीका नहीं है। ... (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : संघ प्रिय गौतम जी वाली बात सही हो रही है। ... (व्यवधान)...

श्री मती सरला माहेश्वरी : बड़ी मुश्किल है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं चाहूंगी कि इस तरह के बयान न दिए जाएं। आखिर हम लोग यहां किस लिए बैठे हैं? क्या यहां पर एक दूसरे पर कॉमेंट्स करने के लिए बैठे हैं या अपने विचार रखने के लिए बैठे हैं? विचार करने की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। इस तरह के कॉमेंट्स न हों, तो अच्छा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी): इसका कार्यवाही से विलोपित कर दिया गया।

श्री अरुण जेटली : सर, मैं इस विषय को केवल इसलिए उठा रहा था क्योंकि सरला जी ने कहा कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम सीक्रेसी को छोड़ने की नौबत आ रही है और इससे अपने कई प्रश्न उठेंगे। सीक्रेसी के बहुत गुण हैं, लेकिन कुछ अवगुण भी हमको देखने को मिल रहे हैं और इसीलिए जब वह बिल इस सदन के अंदर आएगा तब इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मैंने छोटा सा उत्तर इसीलिए देने की आवश्यकता समझी कि आपने इस विषय को उठाया कि सीक्रेसी कोई इलेक्टोरेल प्रोसेस का निगेशन है, यह अनिवार्य नहीं है।

* Expunged as ordered by the Chair

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मंत्री जी मैंने इस बात को इसलिए कहा , मुझे यह कहने की जरूरत इसलिए पड़ रही है की जो हमारे अवगुण हैं, जो हमारी कमियां हैं, उन कमियों को ढकने के लिए हम एक दूसरा रास्ता अख्तियार करें, इससे पहले जरूरी है कि हम अपनी कमियों को दूर करें, अपनी कमियों को सुधारें। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आप कह रहे हैं कि यह एक पद्धति चली आ रही है , जिसको एक स्वीकृत नियम माना जा रहा है, उसको आप खत्म कर रहे हैं।

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, there were several questions. Three model issues were raised by Shri Pranab Mukherjee. He mentioned that there would be a marginal increase as far as the Scheduled Caste constituencies are concerned. As I mentioned, with the inclusion of the Neo-Buddhists in the Scheduled Caste list as an effect of the 1990 Constitution Amendment Order, this would be more felt in Maharashtra. Maybe there is a marginal impact in any other States because of a natural increase in population or otherwise.

Sir, you wanted us to avoid a situation where a Lok Sabha constituency, today, may fall within two different States. In Assembly constituencies also, the problem may have arisen in the case of division of States. Shri Yadav made a suggestion that constituencies should not be in more than two districts. In fact, they should not be in more than one district normally. To obviate such a situation, the legislation itself gives guidelines. Guidelines cannot be the rule of thumb. They give an indication to the Delimitation Commission. The first guideline itself is, "All constituencies shall, as far as practicable, be geographically compact areas and in delimiting them, regard shall be had to the physical features, existing boundaries of administrative units-that is, a district-facilities of communication and public convenience." So, the first guideline itself is that as far as possible, keep it within a particular district unless it is unavoidable that a Lok Sabha constituency falls into more than one district itself.

With regard to the time, I had mentioned that the last Delimitation Commission had taken four years. It had taken four years because the number of seats itself increased. The second factor was that you had to equitably distribute the seats in a particular manner. This time, it is obvious that this will not take so much time for two reasons. The number of seats in every State remains the same. The total number of electorate is known from the Census figures. You have to broadly, equally divide the electorate. Particularly because computers are now available, this may be a far easier exercise. Since this will be the first exercise of delimitation that we will be doing with all these facilities available, there is no clear-cut idea about how

much time we will take. But this two-year time that we mention is the outer limit of that time. I am sure that it will be reasonably possible to do it within that two-year period. Maybe in a little over a year we should be able to do it so that we may be able to notify it much before the next General Elections so that political parties and candidates may know what the size and shape of the constituencies can be.

Sir, a question has been raised as to whether it would be better to have only a sitting Supreme Court Judge to head it. We would certainly prefer to have a sitting Supreme Court Judge. Why have we given flexibility between a sitting or a retired Supreme Court Judge? Normally, for a Commission which takes a year or two to be completed, the Supreme Court is reluctant, because of its own workload, to spare a sitting Judge. That is the reason why we have got this element of flexibility. As far as this factor is concerned, Ghufraan Saheb has made a suggestion that we should add in the language what would happen if a Member ceased to be a Member of the House. He has to cease to be an associate Member. I do not think any specific clarification is required because under clause 5, it is very clear that the Speaker can nominate only a Member of the House. This is a settled practice that we send Members to various bodies, various societies and others where Members of Parliament are also represented. The moment they lose their membership, the membership where they have been nominated by virtue of this membership also goes and a new Member has to be elected by the House or selected by the Speaker and has to be sent.

Several other questions have been raised. I am not referring to each one of them. But Dr. Maitreyan had mentioned a point that the States, which have controlled the population through effective implementation of family planning, must be given a premium of membership. I think the States, which have successfully implemented it, must be given incentives in various forms. But, really, the principle of equal representation, or, each vote has the same weightage, ought not to be disturbed in the process of giving any incentive. There can be many other disincentives that the Government can consider. But the value of each vote has to remain the same, and we cannot have a greater representation in one State merely because of the effective implementation of family planning measures.

DR. V. MAITREYAN: It is not now; it should be considered while defreezing the number of seats.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I think we will leave this problem for the generation in 2026 to consider it. With these few words, I commend to the House that the Bill be passed.

DR. V. MAITREYAN: What about the inclusion of Rajya Sabha Members in the Delimitation Commission?

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I checked the earlier legislation also. Even in the past, the Rajya Sabha Members have not been associated in the process of delimitation, not because they do not want to include the Rajya Sabha Members. But from the record what I find is that the Rajya Sabha Members are elected by the State Legislators. The Lok Sabha Members are elected directly by the people. Therefore, you have a representation of the Lok Sabha Members; you also have a representation of the States. If you give the Rajya Sabha Members also a representation, there will be two categories of representation of the States. That is, probably, the reason why this has never been done in the past.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: The whole State is a territorial constituency for the Rajya Sabha Members.

डा. अबरार अहमद (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक जानकारी चाहूंगा। आपने रोटेशन के संबंध में कहा कि अगर ऐसी जगह रोटेशन में सीट आ गई जहां एस.सी. या एस.टी. के वोटर्स नहीं हैं तो एक अजीब स्थिति बन जाएगी। इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जो सीटें रिज़र्व हैं, वहां 20 परसेंट, 25 परसेंट या 30 परसेंट एस.सी. या एस.टी. के वोटर्स हैं और 70 परसेंट, 75 परसेंट, 80 परसेंट जनरल वोटर्स भी हैं। उन वोटर्स को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन वह सीट एक लंबे समय से रिज़र्व होने की वजह से क्या उनके चुनाव लड़ने के अधिकार का हनन नहीं हो रहा है? वह सीट रिज़र्व है, यह बात कहकर हम कब तक और कितने साल उन वोटर्स के चुनाव लड़ने के अधिकार का हनन करते रहेंगे? इसमें कंसेंसस की बात नहीं बन सकती। इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि जा एस.सी. या एस.टी. के सांसद हैं, वे कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी सीट जनरल हो। जो जनरल कैटेगरी के हैं, वे कभी नहीं चाहेंगे कि रोटेशन में वह सीट एस.सी. या एस.टी. को हो जाए। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप कैसे इस चीज को ठीक करेंगे?

श्री अरुण जेटली : उपसभाध्यक्ष महोदय, कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो बिल्कुल आदर्श हो, जिसमें किसी प्रकार की समस्या न हो। मैंने एक उदाहरण आपको दिया था जिसमें मुंबई या दिल्ली ट्राइबल कांस्टीट्यूट्रेंसी बन जाएगी। और ट्राइबल कांस्टीट्यूट्रेंसी में जनरल कैटेगरी होगी। एक दूसरी समस्या के बारे में गौतम जी ने जिक्र किया था कि कई बार जब रोटेशन की संभावना अधिक होती है, तो चूंकि मैंने अगली बार चुनाव नहीं लड़ना है, इसलिए मैं कांस्टीट्यूट्रेंसी को कितना नॉरिश करूंगा, यह सवाल भी आ जाता है। यह स्वाभाविक है। लेकिन डि-लिमिटेशन के इस सिद्धांत में एस.सी. की कांस्टीट्यूट्रेंसीज वहां रिज़र्व होगी जहां

एस.सी.की पापुलेशन सबसे अधिक है, इसलिए इसमें "Largest"शब्द का इस्तेमाल किया गया है।

डा. अबरार अहमद : वह बात तो आपने कही है लेकिन जो 35 परसेंट दूसरे लोग है , जो जनरल कैटेगरी के है, वे 30 साल से वहां चुनाव नहीं लड़ सकते। आप और कितने साल उन्हें चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित रखेंगे ? क्या यह उनके अधिकारों का हनन नहीं है

श्रीमती जमना देवी बारूपाल : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि कांग्रेस का एक सांसद इस तरह से एस.सी. और एस.टी. का विरोध करता है। यह शर्म की बात है ... (व्यवधान)... आप वह समय भूल गए क्या जब एस.सी. और एस.टी. के लोगों के कानों में सीसा भर दिया जाता था, उन्हें शिक्षा के लिए आगे नहीं आने दिया जाता था और उन पर अत्याचार किया जाता था। वह तो डा. भीमराव अम्बेडकर ने जब वह बिल लाया, तब यह हुआ। इस तरह से आप क्या कर रहे हो ? आदमी अपने उद्गार यहां आकर नहीं सुनाएगा तो किसलिए वह यहां आता है ? ... (व्यवधान)...

डा. अबरार अहमद : महोदय, माननीय सदस्या शायद गलत समझ रही है। मैं एस.सी. या एस.टी. लोगों के अधिकारों के खिलाफ कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ यह बात कह रहा हूँ कि किस प्रकार से वे सीटें रोटेट की जाए ताकि दूसरों को भी मौका मिले।

श्री अरुण जेटली : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने सबसे पहले यह कहा था कि इस व्यवस्था में से कौन सी व्यवस्था चुनी जाए, रोटेशन की चुनी जाए या न चुनी जाए, इस पर सभी दलों में एक आम राय नहीं है। दलों के भीतर भी इस पर एक आम राय नहीं है यह स्वाभाविक है कि मेरे दल में भी मेरे कुछ सहयोगी हो सकते हैं जो यह विचार रखें कि रोटेशन करना चाहिए। इसलिए इन दोनों व्यवस्थाओं में से जो व्यवस्था हमें सबसे बेहतर लगी है कि फिलहाल क्योंकि रोटेशन पर एक आम राय नहीं है और यह संभव नहीं है तो जो आज की मौजूदा व्यवस्था है, उसी को हम लोग आगे चलाएंगे।

SHRI CP. THIRUNAVUKKARASU: I come from Pondicherry. I raised a question about the Government of Union Territories Act.

SHRI ARUN JAITLEY: I am sorry, Sir. I did not answer this question. In the case of Union Territories, there is a special legislation, Government of Union Territories Act, and the delimitation is done under that special legislation.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): The question is:

"That the Bill to provide for the readjustment of the allocation of seats in the House of the People to the States, the total number of seats in the Legislative Assembly of each State, the division of each State and each Union Territory having a Legislative Assembly into territorial constituencies for elections to the House of the

People and Legislative Assemblies of the States and Union Territories and for matters connected therewith, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 12 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I move:

"That the Bill be passed".

The question was put and the motion was adopted.

THE SUGAR DEVELOPMENT FUND (AMENDMENT) BILL, 2002.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांत कुमार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक, जिस रूप से उसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, पर विचार किया जाये।

महोदय, मैं संक्षेप में केवल दो बातें कहना चाहता हूँ। यह बहुत छोटा-सा संशोधन है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन है। इस संशोधन के द्वारा जो शुगर डेवलपमेंट फंड है, उसमें हम यह संशोधन करना चाहते हैं। उस फंड में से तीन बातों के लिए हम शुगर इंडस्ट्री को सहयोग कर सकें, लोन कर सकें। आज शुगर इंडस्ट्री इस प्रकार की इंडस्ट्री है जिसमें हमारे पास लगभग कुल मिलाकर 180 लाख टन चीनी के भंडार जमा हो गए हैं। जो स्थिति अन्न में, फूड ग्रेन में है, लगभग वैसी ही स्थिति इसमें बन गई है। शुगर साइकिल टूट गया है,

हमारे उत्पादन का चौथा वर्ष है और आवश्यकता इस बात की है चीनी का एक्सपोर्ट हो। एक्सपोर्ट की शुरुआत हुई है और 12, 13 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट हुआ है। लेकिन विश्व के बहुत से देश इस हद तक सबसिडाइज्ड करते हैं कि हमारी चीनी विश्व बाजार में कम्पेटिव नहीं हो पाती है। इसलिए इस संशोधन के द्वारा हम चीनी एक्सपोर्ट करने वाली मिलों को इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन और फ्रेट के लिए सबसिडाइज्ड करेंगे। हमारे पास शुगर डेवलपमेंट फंड में पैसा है, उस पैसे से जब हम सबसिडाइज्ड करेंगे, तो उससे शुगर एक्सपोर्ट करना, उनके लिए आसान हो जायेगा। दूसरे, शुगर इंडस्ट्री के लिए जो बाई प्रोडक्ट प्रोडक्शन है, उसको प्रोत्साहन दिया जायेगा।

आज भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि पेट्रोल में पाच प्रतिशत एथलोन मिलाया जायेगा और एथलोन बनाने के लिए शुगर डेवलपमेंट फंड से हम लोन देंगे। आज के एक्ट के मुताबिक एथलोन बनाने के लिए लोन नहीं दिया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण